VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

राजव्यवस्था

JULY 2015 – APRIL 2016

NOTE: May 2016 and June 2016 current affairs for PT 365 will be updated on our website on second week of July 2016.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

A. अभिशासन 5

A.1. सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि कानून की पुष्टि की 5

A.2. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार 5

A.3 महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजद्रोह से संबंधित परिपत्र 6

A.4 गैर सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेशों से प्राप्त धन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 7

A.5 असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (1951) का संशोधन 8

A.6 विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट "द डेथ पेनल्टी" 9

A.7. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना 10

A.8 विचाराधीन मामलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का पोर्टल 10

A.9 NJAC अधिनियम असंवैधानिक और अमान्य 11

A.10 सातवां वेतन आयोग 13

A.11 अनुच्छेद 370 14

A.12 विशेषाधिकार प्रस्ताव 15

A.13. समान नागरिक संहिता 15

A.14. भारतीय कौशल विकास सेवाएँ 16

A.15. सार्वजनिक सेवा का अधिकार अधिनियम 16

A.16. सामाजिक बहिष्कार का निषेध 17

A.17.बाल अधिकार 17

A.18. CCI ने विमान सेवा कंपनियों पर अर्थ दण्ड लगाया 19

A.19. दंड अथवा सजा का परिहार 19

A.20. अनुच्छेद 142 19

A.21.ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 20

A. 22 मेडिकल शिक्षा शासन-प्रणाली पर रिपोर्ट 20

A. 23 शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा 22

A. 24 राज्य सभा द्वारा "धन्यवाद प्रस्ताव" में संशोधन 23

A.25. खाद्य क्षेत्रक विनियमन 24

A.26. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2015 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 26

A.27. राष्ट्रपति शासन 26

A.28. न्यायिक मानक और जवाबदेही 28

VISION IAS

A.29. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 29
A.30. आवारा कुत्तों का खतरा 30
A.31. सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ 30
A.32. IPC की धारा 295A 30
A.33. धारा 377 31
A.34. चुनावी ट्रस्ट 31
A.35. स्पेशल पर्पज व्हीकल 32
A.36. सूचना का अधिकार कानून के 10 वर्ष 32
B. अधिनियम /क़ानून 33
B.1. मानव डीएनए संरचना (प्रोफाइलिंग) विधेयक, 2015 33
B.2. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 34
B.3. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 35
B.4. किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक, 2015 35
B.5. भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 36
B.6. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विधेयक, 2015 36
B.7. शत्रु संपत्ति (ENEMY PROPERTY) अध्यादेश, 2016 38
B.8. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 39
B.9. राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 40
B.10. मणिपुर लोक संरक्षण विधेयक, 2015 41
B.11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 में परिवर्तन 42
B.12. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2013 42
B.13. केंद्र-राज्य संबंधः अनुदान के लिए नया ढांचा 43
B.14. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2015 45
B.15. उद्योग विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015 47
B.16. रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल, 2016 48
B.17. प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 में संशोधन 48
B.18. नेशनल इंस्टिट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क 49
B.19. आधार विधेयक, 2016 50
B.20.खाद्य सुरक्षा अधिनियम 53
C. नीतियां/योजनाएं 54
C.1 नदियों का अंतर्संपर्क 54

VISION IAS

C.2 एन्क्रिप्शन (कूटबद्धीकरण) नीति का मसौदा 56
C.3 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 56
C.4 सड़क परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल 59
C.5 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 60
C.6 दवा मूल्य निर्धारण नीति 61
D. रिपोर्ट/समितियाँ 62
D.1 कटोच समिति की रिपोर्ट 62
D.2 रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय समिति की रिपोर्ट 62
D.3 दक्षिण-एशिया में शहरीकरण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 63
D.4 लोढ़ा समिति की सिफारिशें: 64
D.5 भारत के डिजिटल रूपांतरण के मार्ग की बाधाएं: विश्व विकास रिपोर्ट-2016 65
E. सूचकांक 67
E.1 आईसीटी विकास सूचकांक (IDI) 67
E.2 वैश्विक कानून का शासन सूचकांक 67
E.3 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015 68
E.4. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2015 69
F. विविध 70
F.1 ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 70
F.2 जल क्रांति अभियान 71
F.3 नमामि गंगे 71
F.4 'ग्रो सेफ फूड' अभियान 71
F.5 सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर मामला 72
G. विगत वर्षों के प्रश्न: 74

VISION IAS

A. अभिशासन

A.1. सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि कानून की पुष्टि की

(Supreme Court upholds law on criminal defamation)

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मानहानि के दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान हैं।

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आपराधिक मानहानि कानून की पुष्टि की हैं। अदालत ने आपराधिक मानहानि से सम्बंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया हैं।

अन्य मुद्दें

सीआरपीसी की धारा 199

- न्यायालय को इस खंड को संकीर्ण अर्थ में न लेकर इसकी विस्तृत अर्थों में व्याख्या करनी चाहिए जिसमें लोक अभियोजकों को कथित तौर पर बदनाम लोक सेवकों के मुकदमें लड़ने की अनुमति प्रदान की गई है ।
- यह निश्चय ही अनुचित है की राज्य आलोचना को दबाने के लिए अपनी विधिक कानूनी मशीनरी का उपयोग करने की अनुमति दी जाये तथा लोक सेवकों को अदालत में गवाही देने से उन्मुक्ति प्रदान की जाती हो।

संवैधानिक पीठ

- यह एक बड़ा मुद्दा है अत: साधारण पीठ द्वारा इसको संवैधानिक पीठ को निर्णय के लिए प्रेषित किया जा सकता था।
- संवैधानिक पीठ भारत के सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ को कहा जाता है जिसमें किसी मामले का निर्णय करने के लिए कम से कम पांच न्यायाधीश मिलकर विचार करें तथा जिसमें भारतीय संविधान या विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हो।

A.2. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार

(Special Category Denied to Andhra Pradesh)

- केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने संसद में घोषणा की कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई नीति नहीं है। इसके बजाय राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है।

भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य:

- भारत में राज्यों को विशेष दर्जा देने की अवधारणा 5 वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद लागू की गयी थी। 5 वें वित्त आयोग ने कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता और करों में छूट के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश की थी।

VISION IAS

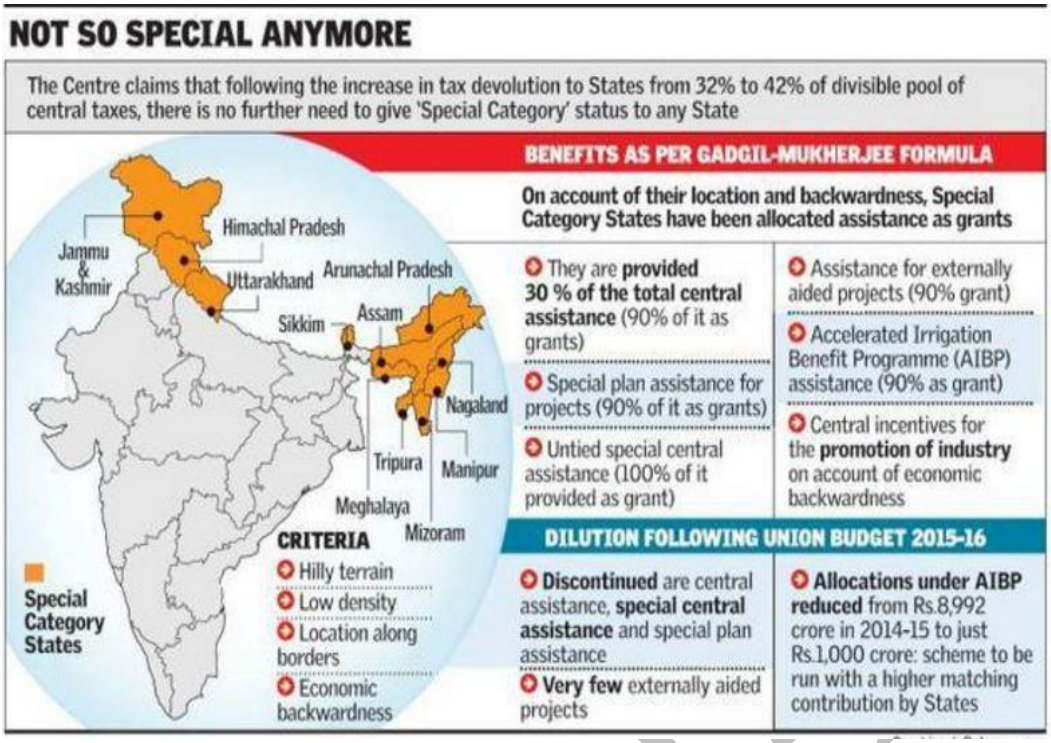

विशेष राज्य का दर्जा के लिए आवश्यक मापदंड

- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र
- कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा
- पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक स्थान
- आर्थिक पिछड़ापन और अवसंरचना की कमी
- राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति
- विकास हेतु राज्य वित्त स्रोतों का पर्याप्त ना होना

A.3 महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजद्रोह से संबंधित परिपत्र

(Sedition Circular by Maharashtra Government)

- यह परिपत्र पुलिस के संज्ञान में यह तथ्य लाता है कि भारतीय दंड सहिंता के राजद्रोह का प्रावधान केवल उन लोगों के खिलाफ लगाया जा सकता है जो लिखित या अभिव्यक्त शब्दों, प्रतीकों या दृश्य माध्यमों से अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करते हैं, इन गतिविधियों के माध्यम से हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं या ऐसा करने का प्रयास करते हैं।
- हालांकि, धारा 124-A के प्रावधान, ऐसे लोगों के खिलाफ लागू नहीं किये जाएगें जो घृणा और तिरस्कार के बिना, कानूनी साधनों के माध्यम से सरकार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं।
- यह माना जा रहा है कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास है। इसलिए यह मुद्दा गंभीर आलोचना का विषय बन गया है।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत मौलिक अधिकार के रुप में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि, और अपराध उद्दीपन की दशा में राज्य इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।

धारा 124 A

- भारतीय दंड संहिता की धारा 124A एक स्वतंत्रता-पूर्व काल का प्रावधान है जो सरकार के खिलाफ राजद्रोह भड़काने के आरोपों से सम्बंधित है।
- 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A को संवैधानिक ठहराया और यह निर्णय दिया कि यह मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच एक "सही संतुलन" के लिए जरूरी है।
- मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और वाक् और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थकों का तर्क है कि यह धारा कठोर है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

A.4 गैर सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेशों से प्राप्त धन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

(Foreign Funding of NGOs and FCRA)

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के प्रावधानों के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस का पंजीकरण रद्द कर दिया।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

- यह अधिनियम विभिन्न संगठनों को विदेशों से प्राप्त अंशदान या सहायता को विनियमित करता है।
- यह 'राजनैतिक प्रकृति वाले संगठनों' द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
- राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक गतिविधियों के संचालन के लिए प्राप्त विदेशी अंशदान अथवा सहायता पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार प्राधिकृत है।
- FCRA को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।

गैर सरकारी संगठनों और इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित क्षेत्रों में सरकार द्वारा लाए गए सुधार –

- सरकार द्वारा विदेशी अंशदान अधिनियम 2015 के द्वारा पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाले अनुदान का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
- गृह मंत्रालय ने सभी प्रकार के विदेशी अंशदान और सहायता आदि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पन्न किए जाना प्रस्तावित किया है।

VISION IAS

- सरकार ने ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए, एक वेबसाइट का संचालन करने का निर्णय लिया है जो अब तक स्वयं ऐसी वेबसाइट का निर्माण और संचालन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।
- गैर सरकारी संगठनों को विदेशों से प्राप्त किसी भी अनुदान की प्राप्ति से, 48 घंटे के अंदर संबंधित बैंक द्वारा गृहमंत्रालय को जानकारी दी जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्राप्त धन के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग की निगरानी की जा सकेगी।
- सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण आदि से संबंधित प्रपत्रों की संख्या में कटौती की है। पंजीकरण, पंजीकरण के पुनर्नवीनीकरण तथा कार्यक्रमों के संचालन के लिए पुर्वानुमति प्राप्त करने के लिए अब एक ही निर्धारित प्रपत्र भरना होगा।
- सरकार विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के ऑडिट और पंजीकरण की प्रक्रियाओं के सरलीकरण का प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि सत्ता और गैर सरकारी संगठनों के बीच मध्यस्थ संस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि गैर सरकारी संगठनों को अपने कार्यो के संचालन के लिए नौकरशाही पर कम से कम निर्भर रहना पड़े।
- यदि किसी गैर सरकारी संगठन को किसी साल कोई भी विदेशी अंशदान नहीं प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस साल उन्हें अंकेक्षक(ऑडिटर) की रिपोर्ट की प्रमाणिकृत प्रति गृह मंत्रालय के विदेश-प्रभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

FCRA अधिनियम: किसी व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा 'विदेशी अंशदान' (Foreign Source) या विदेशी सुविधा (Foreign hospitality) की स्वीकृति अथवा उपभोग का विनियमन करना; तथा ऐसे विदेशी अंशदान एवं विदेशी सुविधा की स्वीकृति एवं उपभोग पर रोक लगाना जो राष्ट्रीय हित एवं इससे जुड़े मुद्दों से प्रत्यक्ष रूप से अथवा संयोगवश जुड़ा हुआ हो।

इनके द्वारा कोई विदेशी योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा :

(a) चुनाव उम्मीदवार; (b) संवाददाता, स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, या एक पंजीकृत अखबार के प्रकाशक, संपादक, मालिक अथवा प्रिंटर; (c) न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या किसी निगम या सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में आने वाले किसी निकाय के कर्मचारी; (d) विधायिका का कोई भी सदस्य; (e) राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी

A.5 असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (1951) का संशोधन

(Revision of National Register of Citizen (1951) in Assam)

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC), 1951 का अद्यतनीकरण क्या है?

- राष्ट्रीय नागरिक पंजी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) , 1951 को 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। **इन पंजियों में 1951 की जनगणना के दौरान गणना में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को सूचीबद्ध किया गया था।**

VISION IAS

सुर्खियों में क्यों?

- इसे 1951 के बाद प्रथम बार सिर्फ असम राज्य में ही पुनर्संशोधित किया जा रहा है।
- इसके मार्च 2016 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
- इस पूरी प्रक्रिया को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्याधीन रखा गया है, तथा इसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय निगरानी समिति के द्वारा की जायेगी।
- **राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC)** के अद्यतनीकरण का अर्थ है 1971, 1951 तक की राष्ट्रीय पंजी, मतदाता सूची या 1971 तक निर्गत किसी भी अन्य स्वीकारणीय दस्तावेज (जो 1971 या उससे पूर्व असम में उनकी उपस्थिति को सिद्ध करता हो) के आधार पर नागरिकों (या उनके वंशजों) के नाम को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया।
- किसी अन्य राज्य का भारतीय नागरिक, जो दी गई नियत तिथि के बाद असम में जाकर बसा हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) में सम्मिलित किये जाने की पात्रता नहीं रखता, तथापि वह अपने मताधिकार का प्रयोग जारी रख सकता है।
- NRC राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का एक उपसमुच्चय है।

नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के अद्यतनीकरण की आवश्यकता :

- वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते के प्रावधानों का अनुपालन।
- असम में अवैध आप्रवासियों (जिनमे से अधिकाँश बांग्लादेश से आये हैं) के मुद्दे पर लगातार हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। वर्ष 1971 के बाद राज्य में बसे लोगों को वापस भेजे जाने की मांग भी उठी है। नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के अद्यतनीकरण से इस मुद्दे के समाधान की अपेक्षा है।
- यह बंगाली मुसलमानों को असम के समाज में सम्मिलित करने का उपाय है तथा इस समस्या को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने का एकमात्र मार्ग है।
- इससे अवैध आप्रवासियों के रूप में माने जाने वाले बहुत-से लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।
- अवैध आप्रवासी कहकर अवांछित उत्पीड़न का शिकार बनाए गए परिवारों को इस उत्पीड़न से मुक्ति प्रदान की जा सकेगी।
- इसका अद्यतनीकरण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से किया जा रहा है।

A.6 विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट “द डेथ पेनल्टी”

(Law Commission, 262nd Report ‘The Death Penalty’)

- विधि आयोग ने “मृत्यदंड” शीर्षक से अपनी 262वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आयोग ने आतंकवाद संबंधी अपराधों तथा राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में मृत्युदंड के उन्मूलन की अनुशंसा की है।

विधि आयोग

VISION IAS

- भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित किया जाता है। आयोग मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और तब से हर तीन साल में पुनर्गठित किया जाता है। 20वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2015 तक था।
- विभिन्न विधि आयोगों ने प्रगतिशील विकास और देश के कानून के संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सभी विधि आयोगों ने कुल मिला कर अब तक 262 रिपोर्ट पेश की है।
- केंद्र सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए 21 वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जो 1 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2018 तक प्रभावी होगी।

A.7. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

(e-Courts Mission Mode Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2015 में 1670 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के दूसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है।

परियोजना के बारे में

- सरकार की ई-कोर्ट परियोजना आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के माध्यम से नागरिकों को ई-सेवाएं देने के लिए अदालतों को सक्षम बनाने, और न्यायपालिका को बेहतर निगरानी और अदालतों के कामकाज का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से है।
- परियोजना के पहले चरण में 13000 से अधिक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है और जिला अदालत की वेबसाइटों पर संबंधित मामले की जानकारी सम्बन्धी लिंक उपलब्ध है।
- यह अदालतें अब (http://www.ecourts.gov.in) पर भी ई-कोर्ट पोर्टल के माध्यम से वादियों और जनता को कारण सूची, मामले की स्थिति और निर्णय के रूप में ऑनलाइन ई-सर्विसेज प्रदान कर रही हैं।
- ई-कोर्ट परियोजना के द्वितीय चरण में भी अदालतों में कार्यप्रवाह प्रबंधन के स्वचालन में मदद मिलेगी जिससे न्यायपालिका और मामलों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।
- परियोजना एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित करेगी जिस से प्रयेक नागरिक को मांग के आधार पर शासन और सेवाएं प्रदान की जा सके और अंततः नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सके।

A.8 विचाराधीन मामलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का पोर्टल

VISION IAS

(SC portal on pendency of cases)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सार्वजनिक प्रयोग हेतु राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) से संबंधित पोर्टल का उद्घाटन किया।

पोर्टल के विषय में

- वेबपेज (ecourts.gov.in/services) देश भर में जिला न्यायपालिकाओं में विचाराधीन मामलों के समेकित आंकड़े देगा।
- यह राष्ट्रीय और राज्य, जिला तथा न्यायालयवार सूचना का प्रसार भी करेगा।
- यह वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं द्वारा दायर मामलों से संबंधित आंकड़ों का पृथक विवरण भी प्रदान करेगा।
- विचाराधीन आंकड़ों को दैनिक आधार पर जिला अदालतों द्वारा अद्यतन किया जाएगा।
- यह पहल पारदर्शिता और न्याय प्रदायक प्रणाली के सभी हितधारकों के लिए सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के विषय में

- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (NJDG), न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु शुरू की गयी है, तथा न्याय प्रदायक प्रणाली का रूपांतरण करने हेतु वर्तमान में चल रही ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना का एक भाग है।
- राष्ट्रीय न्यायायिक डाटा ग्रिड (NJDG), विचाराधीन मामलों के सन्दर्भ को जानने, प्रबंधित करने और कम करने हेतु निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
- यह व्यवस्था में मामलों के निपटारे मे होने वाले विलंब और अत्यधिक संख्या को कम करने के लिए नीतिगत निर्णयों हेतु समय पर जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया में भी सहयोग करेगा।
- यह न्यायालयों के कार्य निष्पादन और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी को सुगम बनाएगा और इस प्रकार बेहतर संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा।
- राष्ट्रीय न्यायायिक डाटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) में किशोर न्याय प्रणाली से संबंधित मामलों समेत सभी वर्गों के मामलों को शामिल किया जाएगा।

A.9 NJAC अधिनियम असंवैधानिक और अमान्य

(NJAC Act As Unconstitutional And Void)

- सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointment Commission) की स्थापना हेतु **99वां संविधान संशोधन विधेयक** प्रस्तुत किया था।
- इसकी परिकल्पना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले एक स्वतंत्र आयोग के रूप में की गई थी।

VISION IAS

- इसका गठन तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों, दो प्रख्यात बाहरी व्यक्तियों और कानून मंत्री से मिलकर होना था।
- संवैधानिक संशोधन संसद द्वारा पारित कर दिया गया था और 20 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि भी कर दी गई थी।
- हालांकि, इससे पहले कि इसे अधिसूचित किया जाता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई।
- NJAC के गठन का उद्देश्य भारतीय उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाना था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से 99 वें संशोधन को निरस्त कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि 'NJAC में न्यायिक घटक को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है।''
- संविधान का नवीन प्रावधान "'न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के संबंध में न्यायपालिका की प्रधानता को सुरक्षित" करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- न्यायालय ने आगे कहा कि "एन.जे.ए.सी के पदेन सदस्य के रूप में विधि और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री के समावेश के कारण अनुच्छेद 124A(1), संविधान के उपबंधों से परे है।

न्यायपालिका की प्रधानता वांछित है क्योंकि -

- ***सरकार प्रमुख वादी:*** चूंकि सरकार एक प्रमुख वादी है, नियुक्तियों के मामले में इसे वरीयता देने का अर्थ न्यायालय की फिक्सिंग करना होगा।
- ***न्यायापालिका की स्वतंत्रता*** : इसे संविधान का मूल ढांचा समझा गया है **और NJAC को इसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला बताया गया।**
- भारतीय संविधान के निर्देशों के अनुसार, कार्यपालिका एवं न्यायापालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन को संभव बनाने हेतु।

- न्यायालय ने यह भी कहा कि "यह संशोधन **''न्यायपालिका की स्वतंत्रता"** के साथ ही, **"शक्तियों के विभाजन"** के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।
- NJAC के सदस्य के रूप में दो "प्रख्यात व्यक्तियों" का समावेश करने का प्रावधान करने वाला उपबंध संविधान के प्रावधानों से परे है।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति:

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति **कॉलेजियम** की अनुशंसा पर करते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

VISION IAS

- **अनुच्छेद-124:** यह व्यक्त करता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे। भारत के मुख्य न्यायाधीश से सिवाय उसकी नियुक्ति को छोड़कर अन्य सभी नियुक्तियों में परामर्श किया जाएगा।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में **अनुच्छेद-217** यह व्यक्त करता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा।

इनमें से कोई भी अनुच्छेद कॉलेजियम प्रणाली पर चर्चा नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का उद्भव:

- **फर्स्ट जजेज केस वर्ष 1981:** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई संस्तुति को **"ठोस कारणों"** से अस्वीकार कर सकता है। इसने कार्यपालिका के हाथों में और अधिक शक्ति दे दी।
- **सेकण्ड जजेज केस वर्ष 1993:** इसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के रूप में भी जाना जाता है। इसने **कॉलेजियम प्रणाली हेतु मार्ग प्रशस्त** किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों में **"प्रमुख" भूमिका** होगी।
- **थर्ड जजेज केस वर्ष 1998:** राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-124 और 217 के अंतर्गत "परामर्श" शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय को **प्रेसिडेंशियल रेफरेंस** जारी किया। प्रत्युत्तर में, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली के **संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किए।**

A.10 सातवां वेतन आयोग

(Seventh Pay Commission)

न्यायमूर्ति ए.के. माथुर की अध्यक्षता में यह आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। आयोग की अनुशंसाओं का 1 जनवरी, 2016 से लागू होना निर्धारित किया गया है।

- सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए लगभग हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है और इन्हें राज्यों द्वारा प्राय: कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया जाता है।

वेतन आयोग क्या है?

- वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाता है। यह भारत सरकार के सिविल एवं सैन्य विभागों के वेतन-प्रारूप, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों में बदलाव के मद्देनजर अपनी सिफारिशें देता है।
- पहले वेतन आयोग का गठन 1956 में किया गया था, तब से, हर दशक में आयोग का गठन किया जाता है।

A.11 अनुच्छेद 370

(Article 370)

पृष्ठभूमि:

- जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2015 को निर्णय दिया कि अनुच्छेद 370 ने संविधान में स्थायित्व प्राप्त कर लिया है और यह अनुच्छेद संशोधन, निरसन या उत्सादन से परे है।
- उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 35A राज्य में लागू वर्तमान कानूनों को "संरक्षण" प्रदान करता है। हालांकि "अनुच्छेद 370 को 'अस्थायी प्रावधान' की संज्ञा दी गई थी और यह 'अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान' शीर्षक वाले पैरा XXI (21) में सम्मिलित था, लेकिन इसने संविधान में स्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया है |
- 31 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त स्थिति प्रदान करने वाली धारा 370 को समाप्त करने पर केवल संसद निर्णय ले सकती है।

अनुच्छेद 370 के विषय में:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' है। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त स्थिति प्रदान करता है।
- रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर, अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति चाहिए।

जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा:

- विधायी शक्तियाँ: अन्य भारतीय नागरिकों की तुलना में इस राज्य के निवासी, नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित अलग कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- राज्य-क्षेत्र: राज्य की सीमाओं को भारतीय संसद बढ़ा या घटा नहीं सकती है, और अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं।
- आपातकालीन प्रावधान:
- केंद्र सरकार आंतरिक अशांति या आसन्न ख़तरे के आधार पर आपात स्थिति की घोषणा तब तक नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसा, राज्य सरकार के अनुरोध पर या सहमति से नहीं किया जाता है।
- इस राज्य में केंद्र केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- इस राज्य में अनुच्छेद 360 के अंर्तगत वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा करने की केंद्र के पास कोई शक्ति नहीं है।
- संवैधानिक संशोधन: कोई संविधान संशोधन राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने के बाद ही जम्मू-कश्मीर में लागू होता है।

VISION IAS

A.12 विशेषाधिकार प्रस्ताव

(Privilege Motion)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया।
- इस नोटिस के पीछे तर्क था कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक बहस में दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सरकारी हस्तक्षेप के मुद्दे पर सदन और राष्ट्र को भ्रमित किया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव:

- इसे किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब उसे प्रतीत होता है कि किसी मंत्री या सदस्य ने किसी मामले का तथ्य छुपाकर अथवा गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।
- सांसदों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी सांसद द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री या किसी अन्य सदस्य की निंदा करना होता है।
- लोक सभा और राज्य सभा-दोनों में से प्रत्येक सदन की उनके अपने सदस्यों से बनी अलग-अलग विशेषाधिकार समितियाँ हैं।
- दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, क्रमश: लोकसभा अध्यक्ष और सभापति विशेषाधिकार नोटिस को अस्वीकार कर सकते हैं, या उन्हें विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं, या निर्णय लेने से पहले सदन की राय ले सकते हैं।

A.13. समान नागरिक संहिता

(Uniform Civil Code)

2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को समान नागरिक संहिता के निर्माण के सन्दर्भ में प्राप्त अधिदेश (mandate) के बारे में जानकारी माँगी। समान नागरिक संहिता लागू होने से समान मानक अपनाए जा सकेंगे तथा कानूनी मामलों में सभी धर्मों का समान रूप से विनियमन किया जा सकेगा।

यह क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति :

- **अनुच्छेद 44 : समान नागरिक संहिता का अर्थ-** अनिवार्यतः देश के सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनके व्यक्तिगत मामले समान कानूनों द्वारा शासित होने चाहिए।
- वर्तमान में, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के व्यक्तिगत मामलों का विनियमन विभिन्न कानूनों द्वारा होता है। उदाहरण के लिए एक ईसाई व्यक्ति ने तलाक से सम्बंधित एक प्रावधान पर प्रश्न चिन्ह लगाया है जिसके अनुसार तलाक लेने से पहले ईसाई जोड़े को दो साल तक न्यायिक रूप से अलग रहना होता है जबकि हिंदुओं और अन्य गैर-ईसाइयों के लिए यह अवधि एक वर्ष है।

VISION IAS

समान नागरिक संहिता में अनुच्छेद 14 और 25 की भूमिका:

- अनुच्छेद 25 के अनुसार, राज्य और इसकी संस्थाओं को विभिन्न धर्मों के *पर्सनल लॉ* सहित धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- पर्सनल लॉ से उत्पन्न विसंगति को समानता का अधिकार सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 14 की कसौटी पर चुनौती दी गई है। वादियों का तर्क है कि उनका समानता का अधिकार पर्सनल लॉ के कारण खतरे में है। यह उनके लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करता है।

A.14. भारतीय कौशल विकास सेवाएँ

(Indian Skill Development Services)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए एक समूह 'ए' सेवा का गठन करने की स्वीकृति दे दी है। इसे भारतीय कौशल विकास सेवा कहा जाएगा।

भारतीय कौशल विकास सेवा :

- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित कौशल विकास संवर्ग है।
- संभवतः वर्ष (2016-17) से इसके अधिकारियों की भर्ती UPSC करेगा।
- अधिकारियों का यह नया संवर्ग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का संचालन करेगा। साथ ही यह प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल और प्रशिक्षण योजनाओं को लागू करने में भी सहायता देगा।
- यह नई सेवा, कौशल नीतियाँ तैयार करने, प्रशिक्षु प्रणाली में सुधार हेतु रोड मैप बनाने तथा आई.टी.आई. को दुरुस्त (पुर्ननिर्माण) करने में सहायता देगी और विभिन्न योजनाओं के लिए पाठ्यक्रम कार्य आदि में सुधार लाने में भी सहायता करेगी।
- अधिकारियों को दो वर्ष तक के लिए ग्रामीण भारत में तैनात किया जाएगा। इससे वे विषय के पर्याप्त ज्ञान के साथ बेहतर निर्णय ले सकेंगे।

A.15. सार्वजनिक सेवा का अधिकार अधिनियम

(Right to Public Service Act)

महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, ***2015*** (आर.टी.एस. अधिनियम) का अधिनियमन किया है।यह नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति की गारंटी देता है और पथभ्रष्ट लोक सेवकों के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह अधिनियम इसी मुद्दे पर पहले प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान ग्रहण करेगा।

इस विधेयक की विशेषताएँ

- निर्धारित समय सीमा में सेवाओं का लाभ उठाने की वैधानिक गारंटी।
- यह भ्रष्टाचार, लालफीताशाही की रोकथाम करेगा और पारदर्शिता लाएगा।

VISION IAS

- यह पथभ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने हेतु 500 रूपए से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है।
- यह, इस अधिनियम के अंर्तगत शिकायतों से निपटने के लिए शीर्ष पर 'सेवा का अधिकार आयोग(Right to Service Commission)' तथा अन्य दो स्तरों (प्रथम अपीलीय और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण) पर अपीलीय प्रणाली स्थापित करता है। इन निकायों के पदाधिकारी सरकारी अधिकारी होंगे।
- यह राज्य सार्वजनिक सेवा आपूर्ति समिति का प्रावधान करता है। यह समिति अधिसूचित सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की संस्तुति करेगी।

A.16. सामाजिक बहिष्कार का निषेध

(Prohibition of Social Boycott)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जाति, धर्म, समुदाय और परंपरा के नाम पर सामाजिक बहिष्कार से निपटने के लिए एक कानून (**सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम, 2015**) को मंजूरी प्रदान की है।
- जाति पंचायतों द्वारा व्यक्तियों या परिवारों के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ किसी कानून को बनाने वाला यह देश का पहला राज्य होगा।

A.17.बाल अधिकार

(Child Rights)

14 से 20 नवम्बर तक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह (ICRW) का आयोजन किया गया। भारत में 20 नवम्बर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे पूरे विश्व में लोगों को बच्चों के अधिकारों के संबंध में जागरूक बनाने हेतु विश्व बाल दिवस (अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के रूप में भी मनाया जाता है।

बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम -

बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) – आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम, तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, भारत के संविधान के आदर्शों के

अनुरूप हों। साथ ही इन्हें बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय में निहित बाल अधिकारों से संगत होना चाहिए।

- **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना**
- 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य दशाओं में सुधार लाना।
- बच्चे के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, भौतिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- मृत्यु अनुपात, रुग्णता, कुपोषण तथा विद्यालय छोड़ देने के मामलों में कमी लाना।
- **महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में सामान्य सहायता राशि योजना**
- **समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)**
- इसका लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए संरक्षी वातावरण निर्मित करना है।
- इस योजना में प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करने तथा उनके परिणामों की निगरानी के लिए एक बाल संरक्षण आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जायेगी।
- **किशोरी शक्ति योजना**
- **आरंभिक बाल्यावस्था बाल शिक्षा नीति**
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल इत्यादि**

भारत में बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए किये गए **संवैधानिक प्रावधान:**

अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता।

अनुच्छेद 15- राज्य किसी नागरिक के साथ भेद-भाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित कोई भी बात राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये जाने में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी।

अनुच्छेद 21-जीवन का अधिकार

अनुच्छेद 21A- (RTE) राज्य स्वयं के कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट तरीकों द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को **निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा** उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 23-मनुष्यों के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध।

अनुच्छेद 24-कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध।

संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना 13 दिसंबर 2002 को ज़ारी की गयी थी, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को उनका मूल अधिकार बनाया गया।

अनुच्छेद 39 (E) तथा 39 (F) – बाल श्रम को रोकने के लिए

अनुच्छेद 45- आरंभिक बाल्यावस्था में देख-भाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान।

VISION IAS

अनुच्छेद 47- पोषण स्तर तथा जीवन यापन के मानक को ऊंचा उठाने का प्रावधान।

A.18. CCI ने विमान सेवा कंपनियों पर अर्थ दण्ड लगाया

(CCI Imposes Penalties upon Airlines)

हाल ही में, **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)** ने 3 विमान सेवा कंपनियों द्वारा कार्गो की ढुलाई हेतु ईंधन सरचार्ज निर्धारण तथा पुनर्संशोधन के मामले में **सम्मिलित कार्रवाई करते हुए** उन पर अर्थ दण्ड लगाया।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)

- आयोग की स्थापना एक संवैधानिक संस्था के रूप में प्रतिस्पर्द्धा विरोधी कार्यों को रोकने, बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने तथा उन्हें बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने एवं व्यापार की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने हेतु की गयी थी।
- CCI का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण भारत में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करना है।

A.19. दंड अथवा सजा का परिहार

(Remission of Sentences)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सातों हत्यारों को मुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय को खारिज़ कर दिया।
- संवैधानिक पीठ ने तमिलनाडु सरकार के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि इन सातों कैदियों के 'परिहार' के आधार पर मुक्त होने की आशा का हनन नहीं किया जाना चाहिए।

दंड का परिहार

- इसका अर्थ होता है- सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि को कम करना।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 72** के अंतर्गत राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकते हैं जिन्हें आजीवन कैद की सजा या मौत की सजा सुनाई गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, राज्यपाल के पास भी क्षमा करने का अधिकार होता है।

A.20. अनुच्छेद 142

(Article 142)

VISION IAS

- 16 दिसंबर को, लोकायुक्त की नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार को दी गई समय सीमा समाप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण कदम उठाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, **न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश** का नया लोकायुक्त नियुक्त किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अप्रैल 2014 से इसके द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करने में राज्य सरकार की असफलता के कारण वह **अनुच्छेद 142** के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विवश हो गया था।

अनुच्छेद 142

- सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के दौरान अपने समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु आवश्यकता होने पर तदर्थ डिक्री पारित कर सकता है या आदेश जारी कर सकता है।

A.21.ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

(Gram Uday to Bharat Uday Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राज्यों और पंचायतों के सहयोग से केन्द्र सरकार ने 14 अप्रैल (डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर की जयंती) से 24 अप्रैल (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) 2016 तक 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' (गांव स्वशासन अभियान) आयोजित करने का निर्णय लिया।

अभियान की मुख्य विशेषताएँ :

- अभियान का उद्देश्य गांवों में सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, पंचायती राज को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, और किसानों की प्रगति के उन्नत प्रयास करने के लिए देशव्यापी प्रयास करना है।
- सभी ग्राम पंचायतों में एक 'सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम' आयोजित किया जाएगा। यह पंचायती राज मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्त्वाधान में आयोजित किया गया ।
- इस कार्यक्रम में ग्रामीणजनों ने डॉ. अम्बेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।
- **'ग्राम किसान सभाओं'** का आयोजन किया गया, जहां कृषि योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई गयी, जैसे फसल बीमा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्ड आदि।
- इसके अलावा पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के **10 राज्यों के आदिवासी महिला अध्यक्षों की एक राष्ट्रीय बैठक** विजयवाड़ा में आयोजित की जाएगी; जिसकी केन्द्रीय विषयवस्तु पंचायत और आदिवासी विकास होगी।

A. 22 मेडिकल शिक्षा शासन-प्रणाली पर रिपोर्ट

VISION IAS

(Report on Medical Education Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति (PSC) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें **भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) की कार्य-प्रणाली में गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तथा "रूपांतरणीय प्रकृति" के परिवर्तनों की मांग** की गयी।

रिपोर्ट में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

- MCI की संरचना अपारदर्शी है,इसमें विविध पृष्ठभूमि के हितधारक सम्मिलित नहीं है, तथा परिषद् में केवल चिकित्सक हैं।
- MCI के द्वारा **अधिदेशित न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ वस्तुतः "अव्यावहारिक तथा कृत्रिम रूप से कठोर मानक हैं।**" ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उनके विस्तार में अड़चन उत्पन्न करते हैं।
- मेडिकल सीट पाने के लिए **50 लाख रूपए तक ऊंची कैपिटेशन** फीस।
- निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली में **सकारात्मक फीडबैक का कोई प्रावधान नहीं** है, तथा पूरी प्रक्रिया का दृष्टिकोण सुधारात्मक की बजाय दंडात्मक है।

सुधार हेतु सुझाव

- तीन क्षेत्रों में समिति ने MCI में आमूलचूल परिवर्तनों की अनुशंसा की है:
- MCI की एक नियामक निकाय के रूप में स्थापना,
- मेडिकल कॉलेज का प्रशासन, तथा

- भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
- **शक्ति का पृथक्करण:** पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मानक तय करने के लिए वर्तमान MCI को चार स्वतंत्र परिषदों के द्वारा प्रतिस्थापित करना।

भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI):

- MCI भारत में मेडिकल शिक्षा के एक-समान तथा उच्च मानकों की स्थापना के उद्देश्य से निर्मित एक वैधानिक निकाय है।
- मेडिसिन पेशे में उपयुक्त मानदंडों को सुनिश्चित कर, जनता के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा उसकी निगरानी के लिए यह भारत में काम करने के लिए चिकित्सकों को पंजीकृत करती है।

A. 23 शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा

(Minority Status of Educational Institutes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को बदलते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को समर्थन नहीं देने का फैसला किया।

अल्पसंख्यक संस्थान का मुद्दा

- हालाँकि देश में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक संस्थान अस्तित्व में हैं, फिर भी अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे बने हुए हैं।
- किसी विश्वविद्यालय को निगमित करने के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है अतः यह व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है।
- विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का विरोध करने वालों का मानना है कि चूँकि, विश्वविद्यालयों की स्थापना विधि के द्वारा की जाती है, अल्पसंख्यकों के द्वारा नहीं, इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकते हैं।
- किन्तु इस मत के समर्थकों का तर्क है कि स्थापना (establishment) और निगमन (incorporation) दोनों पृथक बातें हैं तथा चाहे इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गयी हो या नहीं, किसी विश्वविद्यालय के निगमन के लिए विधि की आवश्यकता होती ही है।

सरकार का रुख

- सारी दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।

VISION IAS

- केंद्र का कहना था कि किसी संसदीय अधिनियमन या राज्य अधिनियमन के द्वारा स्थापित AMU या किसी अन्य संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद-15 के विरुद्ध होगा क्योंकि अनुच्छेद-15 धर्म के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले भेद-भाव का निषेध करता है।
- केंद्र का यह भी कहना है कि AMU तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करना असंवैधानिक एवं गैर-कानूनी होगा क्योंकि सरकार द्वारा संचालित ये दोनों संस्थाएं अल्पसंख्यक टैग का प्रयोग कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेद-भाव कर रही थीं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30

अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा प्रबंधित करने का अधिकार।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCMEI)

- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रतिभूत,अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा संचालन के उनके अधिकार को सुनिश्चित करता है।
- भाषाई अल्पसंख्यक NCMEI अधिनियम के दायरे के बाहर होते हैं।
- यह आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है तथा इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- इसकी अध्यक्षता ऐसे सभापति द्वारा की जाती है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों तथा दो अन्य लोगों को केंद्र सरकार द्वारा सदस्य नामित किया जाता है।
- आयोग की तीन भूमिकाएं हैं–निर्णयकारी भूमिका, परामर्शक भूमिका तथा अनुशंसात्मक शक्तियाँ।

A. 24 राज्य सभा द्वारा "धन्यवाद प्रस्ताव" में संशोधन

(Amendment in "Motion of Thanks" by Rajya Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दो वर्षों में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति किए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन किया गया हो।
- यह संशोधन **पंचायती चुनावों में भाग लेने की नागरिकों के अधिकार को सीमित करने संबंधी क़ानून को राजस्थान तथा हरियाणा सरकारों** द्वारा पारित किए जाने पर केन्द्रित था।
- 2015 से पूर्व, केवल तीन ऐसे अवसर आए जब राज्य सभा में राष्ट्रपति के संबोधन में संशोधन किया गया। ये संशोधन इंदिरा गांधी, वी. पी. सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एक-एक बार हुए।

इन संशोधनों के महत्व

VISION IAS

- राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन अपनाए जाने का **सरकार की विश्वसनीयता के लिए बहुत महत्व** है।
- यह सत्ताधारी पक्ष पर उनकी निष्क्रियता, कु-शासन तथा अकुशलताओं के विरुद्ध नैतिक जवाबदेही का प्रवर्तन करता है।
- यह हमारे राष्ट्र की राजनीति में **राज्यसभा के महत्व तथा प्रासंगिकता तथा सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में उसकी सार्थक भूमिका** को रेखांकित करता है।
- यह स्पष्ट रूप से **हमारे संसदीय लोकतंत्र की गत्यात्मकता को** उजागर करता है जो राजनीतिक दलों के शक्ति संतुलन तथा सदन की संरचना पर निर्भर करती है।
- सरकारी नीतियों, कानूनों तथा विनियमों के विरुद्ध असंतोष प्रकट करता है।
- यह सरकार के ध्यान-केंद्र से बाहर के सामाजिक महत्व के मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

- प्रत्येक **आम चुनाव के बाद के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा** एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है।
- इस संबोधन में, राष्ट्रपति बीते तथा आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों तथा कार्क्रमों की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं।
- राष्ट्रपति के जिस संबोधन पर **संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा की जाती है, 'धन्यवाद प्रस्ताव'** कहलाता है।
- **चर्चा या बहस के अंत में, इस प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है। निम्न सदन में इस प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य होता है। अन्यथा, यह सरकार की विफलता या पराजय मानी जाती है।**

A.25. खाद्य क्षेत्रक विनियमन

(Food Sector Regulation)

<u>सुर्ख़ियों में क्यों?</u>

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने संकेत दिया है कि वह नए विनियम जारी करके आरम्भ-पूर्व उत्पाद (प्री-लॉन्च प्रोडक्ट) अनुमोदन की प्रणाली को पुनः प्रारंभ करेगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में

- इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, जो कि अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य से संबंधित मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करता है, के तहत स्थापित किया गया है।
- FSSAI को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए बनाया गया है।

VISION IAS

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएं

- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973, वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश 1988, विलायक निष्कर्षित तेल, तेल रहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर आदेश, 1992 आदि विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के बाद निरसित कर दिया गया।
- अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और मानक से संबंधित सभी मामलों के लिए बहु-स्तरीय, बहु-विभागीय नियंत्रण के स्थान पर एकल निर्देश लाइन की दिशा में बढ़ते हुए एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना है।
- इस आशय से, यह अधिनियम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) नामक एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करता है, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करेंगे।

प्राधिकरण की स्थापना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार FSSAI के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है। इसके अध्यक्ष का पद भारत सरकार के सचिव की रैंक का है।

FSSAI के कार्य

- खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और मार्गदर्शक सिद्धांत और इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित विभिन्न मानकों के प्रवर्तन के लिए समुचित प्रणाली विनिर्दिष्ट करना।
- खाद्य कारोबार के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण में लगे हुए प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट करना।
- प्रयोगशालाओं की मान्यता और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट करना।
- उन क्षेत्रों में, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं, नीति और नियम बनाने के विषय में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहयोग देना।
- खाद्य उपभोग, जैविक जोखिम की घटना और उनकी विद्यमानता, खाद्य में संदूषक, विभिन्न संदूषकों के अवशिष्ट, सामने आने वाले जोखिमों की पहचान और तीव्र संपर्क प्रणाली आदि से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, उन्हें मिलाना और उनका विश्लेषण करना।
- देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना ताकि जनता, उपभोक्ताओं, पंचायतों आदि को खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में, तेजी से विश्वसनीय और विषयपरक जानकारी प्राप्त हो सके।

VISION IAS

- जो लोग खाद्य कारोबार में शामिल हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना।
- भोजन, स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानकों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में सहयोग करना।
- खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना।

A.26. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2015 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

(SUPREME COURT VERDICT ON HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT 2015)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करके, पंचायत चुनावों पर हरियाणा सरकार द्वारा पारित क़ानून को वैध ठहराया है।

पंचायत चुनाव पर हरियाणा सरकार का क़ानून

- अगस्त 2015 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पांच संशोधनों को मंजूरी दी थी।
- इन संशोधनों में स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में चुनाव लड़ने के लिए पात्रता के मानदंडों को निर्धारित किया गया है।
- इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, घर पर एक उपयुक्त शौचालय के होने, सहकारी ऋणों का बकायादार न होने, या ग्रामीण घरेलू बिजली कनेक्शनों पर बकाया राशि न होने तथा किसी गंभीर आपराधिक कृत्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा अभियोग न चलाया गया होना जैसे प्रावधान शामिल किये गए हैं।
- ये सभी मानदंड संविधान में उल्लिखित दिवालियापन और विकृतचित्त वाले निर्हरता संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।
- इस क़ानून के तहत चुनाव लड़ने हेतु आवश्यक योग्यता के रूप में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दसवीं कक्षा और सामान्य वर्ग के महिलाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आठवीं कक्षा (में उत्तीर्ण होना) निर्धारित किया गया है।

A.27. राष्ट्रपति शासन

(President's Rule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लगाये गए राष्ट्रपति शासन के कारण संविधान का अनुच्छेद 356 एक बार पुनः चर्चा के केंद्र में है।

राष्ट्रपति शासन:

VISION IAS

- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐसी परिस्थितियों में आरोपित किया जाता है, जब राज्य सरकार के द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन कार्य नहीं चलाया जा रहा हो।
- एक बार राष्ट्रपति शासन आरोपित किये जाने के पश्चात राज्य का विधानमंडल कार्य करना बंद कर देता है तथा राज्य का संपूर्ण प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है। इस दौरान राज्य की विधानसभा सामान्यतः निलंबित अवस्था में रहती है।

राज्यपाल की भूमिका (संवैधानिक प्रावधान):

यदि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है तो राज्यपाल के समक्ष तीन विकल्प होते हैं:

- सरकार को संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत बर्खास्त कर देना ।
- अनुच्छेद 356 लगाये जाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।
- अनुच्छेद 174 (1) के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाना।

अनुच्छेद 174 (1) इस संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं करता कि विधानसभा सत्र बुलाये जाने की तिथियों की घोषणा से पूर्व राज्य के मंत्रिमंडल से परामर्श आवश्यक है या नहीं। अतः सर्वोच्च न्यायलय की संवैधानिक पीठ द्वारा कुछ प्रश्नों का समाधान किया जाना शेष है।

महत्वपूर्ण निर्णय

एस आर बोम्मई वाद 1994

- न्यायालय केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गयी सिफारिश की जाँच नहीं कर सकता, किन्तु राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के आरोपण के सन्दर्भ में प्रस्तुत जिन आधारभूत तथ्यों से संतुष्ट हैं न्यायालय इन आधारभूत तथ्यों की जाँच कर सकता है।
- अनुच्छेद 356 के आरोपण को तभी न्यायसंगत ठहराया जा सकता है जबकि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। प्रशासनिक तंत्र की विफलता को अनुच्छेद 356 के आरोपण का आधार नहीं बनाया जा सकता।

बूटा सिंह तथा बिहार विधान सभा विघटन वाद- 2006

- बिहार विधान सभा के विघटन को अमान्य एवं शून्य घोषित किया गया।
- राज्यपाल की रिपोर्ट को अंतिम आधार नहीं माना जाना चाहिए। इसे राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का मुख्य आधार मानने से पूर्व मंत्रिपरिषद के द्वारा इसे अवश्य प्रमाणित किया जाना चाहिए।

A.28. न्यायिक मानक और जवाबदेही

(Judicial Standards and accountability)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति करणन की कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरण की सिफारिश की थी। ध्यातव्य है कि अपने स्थानांतरण संबंधी वाद की सुनवाई उन्होंने स्वयं की और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

भारत के संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रावधान :

- अनुच्छेद 124 (4) के तहत सर्वोच्च न्ययालय के न्यायाधीश को उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा 'सिद्ध कदाचार' या 'दुर्व्यवहार' के आधार पर केवल तभी हटाया जा सकता है, जब इस संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो।
- संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह अनिवार्य है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता को एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल की जाँच के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार के ट्रिब्यूनल का गठन न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार, अनुच्छेद 217B में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गयी है।
- अधिनियम के प्रयोग की अतीत में तीन बार परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई किन्तु आज तक किसी भी न्यायाधीश को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हटाया नहीं जा सका है।

VISION IAS

A.29. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

(Appointment of NHRC Chairperson)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तु को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल ने इस पद के लिए उन्हें चुना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत का एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के अंतर्गत की गयी है।
- इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा सांविधिक आधार दिया गया है।
- इसका गठन मानव अधिकारों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

संरचना

- एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों।
- एक सदस्य, जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा पूर्व में इस पद पर रहा हो।
- एक सदस्य, जो वर्तमान में किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा पूर्व में इस पद पर रहा हो।
- दो सदस्य मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान, या व्यावहारिक अनुभव, रखने वाले व्यक्तियों के बीच से नियुक्त किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होंगे।

अध्यक्ष की नियुक्ति:

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रपति एक समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं :

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- गृह मंत्री
- लोकसभा में विपक्ष के नेता
- राज्यसभा में विपक्ष के नेता
- लोक सभा के अध्यक्ष
- राज्यसभा के उप सभापति

VISION IAS

अधिनियम में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया जाएगा, सिवाय कि यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद की गयी हो।

A.30. आवारा कुत्तों का खतरा

(Menace of Stray Dogs)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम के प्राधिकारियों को आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या रोकने के निर्देश दिए हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ये कुत्ते समाज के लिए खतरा न बनें।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु कल्याण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाने की अनुमति देता है, जो बोर्ड को उपयुक्त लगे, कि अवांछित जानवर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उन्मूलित किए जाएं। धारा 9 (f) या तो तत्क्षण या दर्द अथवा पीड़ा के संवेदन-शून्य हो जाने के बाद आवारा जानवरों को मारने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाती है।

धारा 11(3)(b)(c) "घातक कक्ष में आवारा कुत्तों के विनाश" और "तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के प्राधिकार के अंर्तगत किसी भी जानवर के खात्मे या विनाश" के लिए प्रावधान करता है।

A.31. सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ

(Regional Benches of SC)

सुर्खियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक और दीवानी वादों में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए (चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में) क्षेत्रीय पीठों वाले राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करने की याचिका स्वीकार कर ली है।

पृष्ठभूमि:

- इससे पहले, 2014 में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय पीठ वाले राष्ट्रीय अपील न्यायालय के प्रस्ताव को तीन आधारों पर ठुकरा दिया था:
  (a) संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान सदैव दिल्ली में रहा है,
  (b) विगत में भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय अपील न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के विचार का "निरंतर विरोध" किया है और
  (c) राष्ट्रीय अपील न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन कर देगा।
- बाद में, चेन्नई के अधिवक्ताओं के एक समूह ने सरकार के विरूद्ध याचिका दायर की।

A.32. IPC की धारा 295A

(Section 295A OF IPC)

- हाल ही में, हास्य अभिनेता किकू शारदा को धार्मिक गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह की मजाकिया नकल का अभिनय करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

VISION IAS

- विगत में भी धारा 295ए का विभिन्न अवसरों पर प्रयोग किया गया है। 'ए.आई.बी रोस्ट विवाद' में करण जौहर, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 295 किसी भी ऐसे कार्य को अभियोजित करती है जो धार्मिक भावनाओं या दूसरों की भावनाओं का घोर अपमान करता है।

A.33. धारा 377

(Section 377)

सुर्खियों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने छह उपचारात्मक याचिकाओं के एक बैच को एक पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास विचारार्थ भेजा है, इन याचिकाओं में 156 साल पुराने कानून को कायम रखने के 2013 के एक फैसले की समीक्षा की मांग की गयी है।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समलैंगिकता एक मानसिक विकार नहीं था, बल्कि मानव कामुकता का एक सामान्य और प्राकृतिक रूपांतर था।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आईपीसी की धारा 377 असंवैधानिक है।
- हालांकि, वर्ष 2013 में, उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को उलट दिया जिसमें उसने 1860 के उस कानून को रद्द कर दिया था जो समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को गैर-कानूनी घोषित करता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377

यह "किसी भी आदमी, औरत या जानवर के साथ प्रकृति के नियम के खिलाफ शारीरिक संभोग" पर प्रतिबंध लगाता है।

A.34. चुनावी ट्रस्ट

(Electoral Trust)

- चुनावी ट्रस्ट भारत में कंपनी अधिनियम की धारा के तहत निर्मित की गई गैर लाभप्रद कम्पनी है। इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनावों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले स्वैच्छिक अनुदान को ग्रहण करने के लिए गठित किया गया है। इसके माध्यम से प्राप्त अनुदान राशि को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत संबंधित राजनीतिक दल को प्रदान किया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग

- भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था।

VISION IAS

- प्रारम्भ में निर्वाचन आयोग का प्रमुख एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (एक मात्र सदस्य) होता था, वर्तमान में इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त दो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं।
- यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

A.35. स्पेशल पर्पज व्हीकल

(Special purpose Vehicle)

SPV एक विधिक निकाय है जिसे विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठित किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से योजना के पूर्ण होने के पश्चात इसे समाप्त कर दिया जाता है।

- SPV का लाभ यह है कि यह निवेशकों के जोखिम को कम करता है और उनके लाभ को अधिकतम करता है। इसके माध्यम से उन्हें कानूनी और विनियामक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है।

A.36. सूचना का अधिकार कानून के 10 वर्ष

(10 Years of RTI Act)

- सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसने विगत 10 वर्षों में सरकारी मशीनरी की सोच और कामकाज की शैली को परिवर्तित कर दिया है।
- सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष कम से कम 50 लाख RTI आवेदन दायर किए जाते हैं।
- पिछले दशक के दौरान, भारत की कम से कम 2 प्रतिशत आबादी ने इस कानून का प्रयोग किया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में:

- सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) "नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए" भारत की संसद का एक अधिनियम है और इसने तत्कालीन सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान लिया है।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक एक लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है जिसे तेजी से या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है।
- अधिनियम के तहत जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार और कुछ श्रेणियों के अंतर्गत जानकारी को अग्रसक्रिय रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी को उनके रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने की न्यूनतम आवश्यकता पड़े।
- यह कानून 15 जून, 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से अस्तित्व में आया था।

VISION IAS

B. अधिनियम /क़ानून

B.1. मानव डीएनए संरचना (प्रोफाइलिंग) विधेयक, 2015

(Human DNA Profiling Bill, 2015)

डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है?

- डीएनए प्रोफाइलिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील तकनीकी है जिसमें त्वचा, बाल, खून या लार के नमूने लिए जाते हैं।
- डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग मुख्यतया अपराधों को सुलझाने और अपराधी को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी का उपयोग कर व्यक्तियों के बीच रक्त-संबंधों की पुष्टि भी की जा सकती है, जैसे-पितृत्व का निर्धारण।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं:-

डीएनए प्रोफाइलिंग कानून के तहत डीएनए के नमूनों और आंकड़ों के संग्रह, सुरक्षा, उपयोग और पहुँच की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा और इन सबसे जुड़ी प्रक्रियाओं को कूटबद्ध भी किया जा सकेगा।

- डीएनए जानकारी को न्यायिक कार्यवाही में सबूत के तौर पर स्वीकारा जा सकेगा।
- डीएनए परीक्षण के प्रबंधन का निर्धारण किया जा सकेगा।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य लोगों द्वारा इस जानकारी के उपयोग के विनियमन का निर्धारण।
- दो नए निकाय स्थापित किये जायेंगें **डीएनए प्रोफाइलिंग परिषद्**- यह परिषद् नियामक के रूप में कार्य करेगी और डीएनए नमूने के परीक्षण, भंडारण और मिलान करने से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेगी। सभी मौजूदा और नई डीएनए प्रयोगशालाओं को परिषद् से मान्यता लेनी पड़ेगी। **डीएनए डाटा बैंक**- इन्हें राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर स्थापित किया जायेगा।। डीएनए जानकारी को इन्हीं डाटा बैंकों में सुरक्षित रखा जायेगा।
- यह विधेयक फॉरेंसिक उद्देश्यों के लिए अपराधियों, संदिग्ध व लापता व्यक्तियों, अज्ञात मृतकों आदि के डीएनए नमूनों के संग्रह और विश्लेषण को वैधता प्रदान करेगा।
- कुछ मामलों में जैसे कि किसी लापता बच्चे के वापस मिल जाने के उपरांत इसमें डीएनए जानकारी के हटाये जाने का भी प्रावधान है।
- इसमें अनधिकृत साधनों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करने योग्य डीएनए जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सजा का प्रावधान है।

डीएनए क्या है ?

VISION IAS

किसी व्यक्ति के गुणसूत्रों में विद्यमान डीएनए वस्तुतः दृश्य विशेषताओं (यथा- जाति, रंग और लिंग सहित) के साथ-साथ अदृश्य विशेषताओं (जैसे- ब्लड ग्रुप और आनुवंशिक रोगों के लिए संवेदनशीलता) को नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति के शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए एक समान होता है। यह सत्य है कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अद्वितीय होता है (केवल समरूप जुड़वाँ को छोड़कर)।

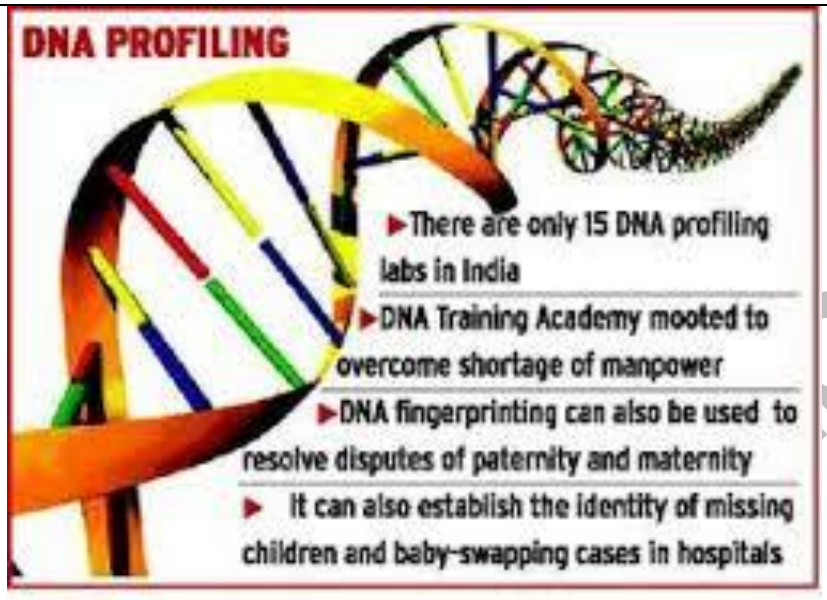

B.2. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

The Election Laws (Amendment) Bill, 2016

- इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 में संशोधन करना है।
- उक्त विधेयक भारत और बांग्लादेश के बीच क्रमश: 51 बांग्लादेशी विदेशी अंतःक्षेत्रों (एन्क्लेव) और 111 भारतीय विदेशी अंतःक्षेत्रों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप (जो 31 जुलाई 2015 से प्रभावी है) पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का सीमित परिसीमन कार्य करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को सक्षम बनाएगा।

परिसीमन

- वस्तुतः परिसीमन का अर्थ किसी देश या विधायिका युक्त राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमारेखा का निर्धारण करने की प्रक्रिया से है। परिसीमन का कार्य किसी उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को ही दिया जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा रेखा आयोग कहा जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 82 के अन्तर्गत संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करता है ।

- भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का अब तक 4 बार गठन हो चुका है। परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत 1952 में; परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत 1963 में; परिसीमन आयोग अधिनियम, 1972 के तहत 1973 में तथा परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के तहत 2002 में।
- निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 के जनगणना के आंकड़ो के आधार पर परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अन्तर्गत किया गया है।
- भारत में परिसीमन आयोग उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेश विधि की शक्ति रखते हैं एवं किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये आदेश इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट एक तिथि से प्रवृत्त होते हैं। इसके आदेश की प्रतियां लोकसभा एवं सम्बद्ध राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाती हैं किंतु उनके द्वारा इन आदेशों में किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं किए जा सकते हैं।

B.3. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015

(Consumer Protection Bill 2015)

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 को पिछले वर्ष 10 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
- संसद की स्थायी समिति ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं दिग्भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रति लोकप्रिय हस्तियों को उत्तरदायी बनाने के लिए पांच साल के कारावास और 50 लाख रुपये के भारी अर्थदंड सहित कड़े प्रावधानों की सिफारिश की है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 विनिर्माताओं के लिए उत्पाद के संबंध में जिम्मेदारी का प्रावधान नहीं करता है। लेकिन नए विधेयक के तहत विनिर्माता को दोषपूर्ण सेवा की वजह से किसी उपभोक्ता को आई चोट या उसकी मौत के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा ।

B.4. किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक, 2015

(The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2015)

- किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की जगह लेने वाले किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक, 2015 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 16 और 18 वर्ष के बीच है और जो एक जघन्य अपराध (ऐसा अपराध जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा निश्चित की गयी है) का आरोपी है, और यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा एक प्रारंभिक जांच के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अपराध करते समय आरोपी परिणामों से पूरी तरह अवगत था, तो उस व्यक्ति पर जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
- किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और बाल कल्याण समिति (CWC) प्रत्येक जिले में गठित की जाएगी। JJB यह निर्धारित करेगा कि किशोर अपराधी को पुनर्वास के लिए भेजा जाए या एक वयस्क की तरह उस

पर मुकदमा चलाया जाये। CWC देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल का निर्णय करेगी।

B.5. भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

(The Bureau of Indian Standards Bill, 2015)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पेश करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित कानून के मुख्य उद्देश्य हैं:

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय (national standards body of india) के रूप में स्थापित करना।
- विधेयक में एक संचालन परिषद् (गवर्निंग काउंसिल) के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और ब्यूरो के प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा।
- मानकीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओं और प्रक्रियाओं के अलावा माल, सेवाओं और प्रणालियों को सम्मिलित करना।
- कुछ निश्चित वस्तुओं, सामग्रियों अथवा सेवाओं को, जिन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, जालसाजी की रोकथाम की दृष्टि से सरकार आवश्यक समझती है, एक अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के तहत लाने के लिए सरकार को सक्षम बनाना। यह उपभोक्ताओं को ISI प्रमाणित उत्पादों को प्राप्त करने में मदद करेगा साथ ही इससे घटिया उत्पादों के आयात को रोकने में भी सहायता मिलेगी।
- किसी भी मानक के अनुपालन में अनुरूपता की स्वघोषणा (self declaration of conformity) सहित ऐसी ही कई प्रकार की सरलीकृत अनुरूपता मुल्यांकन योजनाओं को अनुमति प्रदान करना जो विनिर्माताओं को मानकों से संगत होने एवं अनुरूपता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अनेक सरलीकृत विकल्प प्रदान करेंगे। इस प्रकार इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस में भी सुधार होगा ।
- केन्द्र सरकार को, भारतीय मानक ब्यूरों के अतिरिक्त, मानक के प्रति उत्पादों एवं सेवाओं की अनुरूपता की पुष्टि एवं इसका प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने में सक्षम बनाना।
- मूल्यवान धातु वाली वस्तुओं की अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना।
- बेहतर और प्रभावी अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों को सशक्त करने और उल्लंघन के बाद समझौते की भी व्यवस्था करना।
- मानक चिह्न धारण करने वाले किंतु फिर भी प्रासंगिक भारतीय मानकों पर खरा ना उतरने वाले उत्पादों की उत्पाद देयता (प्रोडक्ट लायबिलिटी) सहित उन्हें बाज़ार से वापस लेना ; और
- BIS अधिनियम, 1986 को समाप्त करना

B.6. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विधेयक, 2015

VISION IAS

(Transport and Road Safety Bill, 2015)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए नया परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विधेयक 2015 प्रस्तावित किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **तकनीकी**: इसके अन्तर्गत नवीन तकनीकी और बेहतर मानकों को अपनाकर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। विधेयक इस सन्दर्भ में वाहनों की बेहतर डिजाइन पर भी जोर देता है। यह वाहनों के स्पेयर पार्ट्स को सस्ता बनाने पर भी केन्द्रित है।
- **वित्त पोषण**: यह सुरक्षा कार्यक्रमों के वित्तपोषण हेतु अभिनव वित्तपोषण तंत्र का प्रस्ताव करता है, जिससे सड़क यातायात दुर्घटना से होने वाली मौतों में कमी होगी और अनुमानत: पहले 5 साल में 200,000 से अधिक लोगों की जान बचायी जा सकेगी।
- **मोटर वाहन विनियमन एवं भारतीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण**: यह स्वतंत्र संस्था मोटर वाहन और सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की स्थापना करेगी। यह सड़क और वाहन सुरक्षा कार्यक्रमों को वित्त प्रदान करेगी और संसद के प्रति उत्तरदायी होगी।
- **मोटर वाहन विनियमन:** विधेयक मोटर वाहन संबंधी उपयुक्त विनियमनों की स्थापना करता है।
- **एकीकृत चालक लाइसेंसिंग व्यवस्था:** विधेयक में सरलीकृत, पारदर्शी तथा बायोमेट्रिक प्रणाली पर आधारित (ताकि डुप्लीकेशन से बचा जा सके) एकल खिड़की लाइसेंसिंग व्यवस्था के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है।
- **एकीकृत वाहन पंजीकरण व्यवस्था:**
- **सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन:**
  - ✓ शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा एवं यातयात संबंधी नियमों का प्रवर्तन इलेक्ट्रानिक युक्तियों के प्रयोग के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
  - ✓ किसी भी प्रकार की सड़क या वाहन दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु एक वाहन दुर्घटना कोष का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों के अन्तर्गत स्कूली बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का विशेष प्रयास किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय सड़क परिवहन एवं विविध यातायात समन्वय प्राधिकरण (National Road Transport Multimodal Coordination Authority)**
  - ✓ सड़क परिवहन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय सड़क परिवहन एवं विविध यातायात प्राधिकरण की स्थापना।
  - ✓ एक एकीकृत परिवहन व्यवस्था के विकास पर फोकस, जहां यातायात के विविध रूप, यथा- वायु, सड़क, रेल, जल आदि एक दूसरे के साथ सहयोगी एवं पूरक की भूमिका निभाते हुए एक सशक्त एवं प्रभावशाली परिवहन व्यवस्था का निर्माण करेंगे। ताकि लोगों को उनकी यात्रा के अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।

VISION IAS

- **सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था:**
  - ✓ सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था की सहभागिता में वृद्धि करना।
  - ✓ द्विस्तरीय परमिट व्यवस्था (राष्ट्रीय और अतंर्राज्यीय) का निर्माण

- **वस्तु परिवहन और राष्ट्रीय माल-भाड़ा नीति:**
  - ✓ आसान परमिट और सिंगल पोर्टल क्लियरेंस
  - ✓ माल-भाड़ा नेटवर्क की पहचान और विकास
- **आधारभूत सरचना एवं यातायात के विविध रूपों के माध्यम से सुगम परिवहन प्रणाली**:
  - ✓ यात्री एवं मालभाड़ा परिवहन प्रणाली को तीव्र बनाने हेतु आधारभूत संरचना
  - ✓ स्कूली छात्र, महिलाओं, वृद्ध आदि सुभेदय् वर्गों के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान
  - ✓ परिवहन के विभिन्न रूपों को एकीकृत व्यवस्था में समाहित करना
- **अपराध और दंड संबंधी प्रावधान**:
  - ✓ ग्रेडेड पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम तथा अर्थदंड में वृद्धि एक निवारक का काम करेंगे एवं सड़कों पर चालकों द्वारा हिंसक रोष की अभिव्यक्ति में कमी लायेंगे।
  - ✓ यह यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से कठोरता से निपटने का प्रावधान करता है। यदि ड्राइविंग के दौरान किसी बालक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उत्तरदायी व्यक्ति को कुछ स्थितियों में 3 लाख रुपए का अर्थदंड तथा 7 वर्ष तक का कठोर कारावास भुगतना पड़ सकता है।
- **यातायात विनियमन एवं संरक्षण बल:** राजमार्गों पर प्रभावी पुलिस व्यवस्था एवं यातायात नियमों के सार्थक क्रियान्वयन के लिए एक सशस्त्र बल का गठन।

B.7. शत्रु संपत्ति (ENEMY PROPERTY) अध्यादेश, 2016

(Enemy Property Ordinance, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन करने के लिए शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं मान्यता) अध्यादेश 2016 जारी किया गया।

अध्यादेश में निहित प्रावधान

- एक बार शत्रु सम्पत्ति का नियंत्रण संरक्षक को प्राप्त होने के पश्चात् यह संरक्षक के नियंत्रणाधीन बनी रहेगी, भले ही शत्रु से संबंधित वस्तु या फर्म को शत्रु की मृत्यु होने की स्थिति में अधिगृहीत कर लिया गया है।
- शत्रु सम्पत्ति के संबंध में उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होंगे।
- एक शत्रु अथवा शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म के द्वारा संरक्षक/अभिरक्षक में निहित किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की तब तक सुरक्षा करेगा जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका निपटारा नहीं कर दिया जाता।

VISION IAS

शत्रु सम्पत्ति क्या है?

- भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित भारत रक्षा नियमों के तहत भारत सरकार ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर चुके लोगों की सम्पति का अधिग्रहण कर लिया था। शत्रु सम्पत्ति के कस्टोडियन (अभिरक्षण) के रूप में शत्रु सम्पतियों को केंद्र सरकार से संबद्ध कर दिया गया।
- शत्रु सम्पत्ति अधिनियम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के द्वारा शत्रु सम्पत्ति का नियंत्रण संरक्षक में निहित कर दिया गया।

B.8. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015

[Arbitration and Conciliation Act (Amendment) Bill, 2015]

संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएँ:

- यह पक्षों को भारत से बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्राप्त करने में सक्षम करता है और यदि विभिन्न पक्ष असहमत न हों तो वे भारतीय अदालतों में भी अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए पहुँच सकते हैं।
- मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 12 महीने में अपना निर्णय दे देना होगा। विभिन्न पक्ष इस अवधि को छ: महीने तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद, इसकी अवधि को पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाने पर केवल न्यायालय द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है।
- अवधि को बढ़ाने के दौरान न्यायालय मध्यस्थों के शुल्क में कमी करने का आदेश भी दे सकता है, यह कमी विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिए पांच प्रितशत से अधिक नहीं हो सकती और यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया छ: महीने के अंदर पूरी हो जाती है तो दोनों पक्षों की सहमति से अतिरिक्त शुल्क प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।
- मध्यस्थता के संचालन के लिए एक फास्ट ट्रैक कार्यप्रणाली का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रकरण में छ: महीने की अवधि में निर्णय देने होंगे।
- यह संशोधन मध्यस्थ के शुल्क पर एक उच्चतम सीमा निर्धारित करता है।
- यह विधेयक मध्यस्थता न्यायाधिकरण को वे सभी अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए सशक्त करता है जो एक न्यायालय प्रदान कर सकता है।
- यह अदालतों को मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने का अधिकार देता है यदि वह भारत की लोक नीति के विरुद्ध है,अर्थात ;
  - ✓ वह भारतीय विधि के आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन हो
  - ✓ या उस निर्णय का नैतिकता के विचार के साथ संघर्ष हो

मध्यस्थता क्या है?

VISION IAS

यह एक कार्यप्रणाली है जिसमें विभिन्न पक्षों की सहमति से एक या अधिक मध्यस्थों के सम्मुख विवाद प्रस्तुत किया जाता है, जो विवाद के विषय में बाध्यकारी निर्णय प्रदान करता/करते है/हैं। मध्यस्थता का चयन कर, विभिन्न पक्ष न्यायालय जाने के स्थान पर निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुनते हैं।

B.9. राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015

[National Waterways Bill, 2015]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यह संशोधन **106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों** को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव पेश करता है। वर्तमान में इनकी संख्या 5 है, इस संशोधन के बाद इनकी कुल संख्या बढ़कर 111 हो जाएगी।

विनियामक प्रावधान:

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 नौवहन और नौचालन के विकास की संभावनाओं वाले जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने और कुशल नौवहन तथा नौचालन के लिए इस प्रकार के जलमार्गों का विकास करने हेतु सरकार को समर्थ बनाता है।

Constitutional provisions

Below are some provisions of the Constitution related to national waterways and entries related to shipping and navigation:

LIST I – UNION LIST

ENTRY-24 Shipping and navigation on inland waterways, declared by Parliament by law to be national waterways, as regards mechanically propelled vessels; the rule of the road on such waterways.

ENTRY-30 Carriage of passengers and goods by railway, sea or air, or by national waterways in mechanically propelled vessels.

ENTRY-56 Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

LIST II - STATE LIST

ENTRY-56 Communications, that is roads, bridges, ferries, and other means not specified in List I; municipal tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List I and List III which regard to such waterways; vehicles other than mechanically propelled.

ENTRY-17 Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I.

LIST III – CONCURRENT LIST

ENTRY-32 Shipping & navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the rule of the road on such waterways, and the carriage of passengers and goods on inland waterways subject to the provisions of List I.

ENTRY-30 Carriage of passengers and goods by rail, sea or air, or by national waterways in mechanically propelled vessels.

- देश में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और नियमन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना अक्टूबर, 1986 में की गई थी।

अंतर्देशीय जल परिवहन के लाभ:

- अंतर्देशीय जल परिवहन को ईंधन दक्षता तथा आर्थिक लागत की दृष्टि से परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त रूप माना जाता है।
- अध्ययनों से पता चला है कि जलमार्गों द्वारा माल ढोये जाने के दौरान कंटेनर जहाजों से होने वाला उत्सर्जन 32 से लेकर 36 ग्राम CO_2 प्रति टन/किमी है जबकि सड़क परिवहन वाले वाहनों (भारी वाहनों) से होने वाला उत्सर्जन 51 से लेकर 91 ग्राम CO_2 प्रति टन/किमी है।
- भारत में **14,500 किलोमीटर नदी चैनल नौगम्य** (नौवहन योग्य) हैं जिसमें से 3,700 किमी मशीनीकृत नाव प्रयोग करने योग्य हैं। लेकिन वास्तव में, केवल 2000 किमी का उपयोग हो रहा है। भारत में 4300 किमी की कुल नहर लंबाई में से 900 किमी नौगम्य है, लेकिन केवल 330 किलोमीटर का उपयोग किया जा रहा है।

अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याएं:

- नदियों के **जल स्तर में मौसमी गिरावट** होती है, विशेष रूप से प्रायद्वीप की वर्षा पोषित नदियों में जोकि गर्मियों के दौरान लगभग सूख जाती हैं।
- सिंचाई के लिए **नदी जल की दिशा परिवर्तित** करने से प्रवाह में कमी आई है। उदाहरण के लिए, गंगा में, जहां स्टीमरों को चलाना भी कठिन हो जाता है।
- गाद के जमाव के कारण नौगम्यता कम हो जाती है जैसा कि भागीरथी-हुगली में और बकिंघम नहर के मामले में है।
- **झरनों और जलप्रपातों के कारण** निर्बाध नौवहन में समस्याएं आती हैं, जैसा कि नर्मदा और ताप्ती के मामले में है।
- विशेष रूप से तटीय भागों में **लवणता** के कारण नौवहन प्रभावित होता है।

B.10. मणिपुर लोक संरक्षण विधेयक, 2015

[Protection of Manipur People Bill, 2015]

मुद्दा

मणिपुर विधानसभा द्वारा तीन विधेयक – मणिपुर लोक संरक्षण विधेयक, 2015, मणिपुर भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 2015 तथा मणिपुर दुकान तथा प्रतिष्ठान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किये जाने के बाद जनजातीय जिलों में दंगें भड़क गए।

पृष्ठभूमि

- ये विधेयक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड की तर्ज पर कई संगठनों के द्वारा इनर लाइन परमिट (ILP) को लागू करने की मांग के लिए दो माह के विरोध प्रदर्शन के परिणाम हैं।
- मणिपुर का प्रभावी 'मेइती समुदाय' वर्षों से मुख्य भूमि के भारतीयों के मणिपुर में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए परमिट के कार्यान्वयन की मांग करता रहा है।

इनर लाइन परमिट प्रणाली (Inner Line Permit System)

VISION IAS

- इनर लाइन परमिट, गैर-अधिवासी (नॉन-डोमिसाईल) नागरिकों के किसी प्रतिबंधित जोन में प्रवेश को विनियमित करता है।
- अंग्रेज इस प्रणाली का प्रयोग पहाड़ों से आने वाले हमलावर जनजातीय समुदायों से पूर्वोत्तर के अपने राजस्व क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया करते थे।
- वर्तमान समय में इनर लाइन परमिट (ILP) के प्रयोग को पहाड़ी राज्यों की छोटी जनजातीय आबादियों की जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक एकता को संरक्षण देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
- वर्तमान में, इसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड में लागू किया गया है।

B.11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 में परिवर्तन

(Changes in Prevention of corruption act, 1988)

- यह रिश्वत के अपराधों में (रिश्वत दाता और रिश्वत लेने वालों दोनों के लिए) और अधिक कठोर सजा का प्रावधान करता है।
- पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामलों के सुनवाई की औसत अवधि 8 वर्ष से अधिक रही है। इसमें त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है।
- वर्तमान में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के कारण अब अपने पद पर नहीं हैं, के अभियोजन हेतु पूर्व स्वीकृति के संरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।

B.12. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2013

[The Real Estate (Regulation and Development) Bill 2013]

यह विधेयक खरीदारों और रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के बीच लेन-देन को नियंत्रित करता है। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं :

- विधेयक के अनुसार यह अनिवार्य है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य स्तरीय रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERAs) की स्थापना, और उनकी संरचना निर्दिष्ट करें।
- यह विधेयक वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार के रियल एस्टेट परियोजनाओं को विनियमित करता है किंतु शहरी निकायों और सरकारी परियोजनाओं को विधेयक के दायरे में नहीं रखा गया है।
- डेवलपर को परियोजाना निधि का 70% भाग बैंक खाते में रखना होगा जिसका उपयोग केवल परियोजना निर्माण के लिए ही किया जा सकेगा।

VISION IAS

- यह सुनिश्चित करेगा की डेवलपर्स किसी एक परियोजना हेतु ली गयी बुकिंग की आय से उस परियोजना को पूरा किए बिना और उपभोक्ता को हस्तांतरित किए बिना नई परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम ना हो पायें। हालांकि, राज्य सरकार इस राशि को 70% से कम भी कर सकती है।
- यह प्राधिकरण में रियल एस्टेट परियोजनाओं और रियल एस्टेट एजेंट्स के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है ।
- एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए अस्पष्ट सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बिक्री अब कानूनन प्रतिबंधित हो जाएगी। कारपेट एरिया को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है।

B.13. केंद्र-राज्य संबंधः अनुदान के लिए नया ढांचा

(Centre-State relations: New Framework for Grants)

2016-17 में प्रस्तुत किये गए बजट में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को धन हस्तांतरण से संबंधित तीन महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं।

(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को तार्किक बनाना

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तार्किक बनाने एवं उन्हें पुनर्संरचित करने के लिए मुख्यमंत्रियों के एक उपसमूह का गठन किया गया।
- इस उपसमूह के द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि केंद्र द्वारा उन्हीं योजनाओं को प्रायोजित किया जाना चाहिये जिनका संबंध राष्ट्रीय विकास से हो।
- यह भी सिफारिश की गयी है कि योजनाओं को कोर (core) और ऑप्शनल (optional) योजनाओं के रूप में दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। कोर योजनाओं के बीच भी सामाजिक सुरक्षा और वंचित वर्गो के समावेशन पर आधारित योजनाओं को 'कोर ऑफ़ द कोर' योजनाओं (core of the core) के रूप में परिभाषित जाना चाहिए।
- उपसमूह ने यह भी सिफारिश की है कि कोर योजनाओं में निवेश के वर्तमान स्तर को बनाये रखना चाहिए, ताकि योजनाओं के अधिकतम विस्तार में कोई कमी न हो।

बजट 2016-17 में अनुदान के लिए नया ढांचा

- सरकार ने मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की सिफारिशों के आधार पर सरकारी अनुदान का पुनर्गठन किया है।
- 'कोर ऑफ़ द कोर' के रूप में परिभाषित योजनाओं के वित्त पोषण के मौजूदा पैटर्न को सरकार के निर्णय के अनुसार बरकरार रखा गया है।
- राष्ट्रीय विकास एजेंडे के हिस्से वाली कोर योजनाओं पर व्यय केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जायेगा, जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा।

VISION IAS

- अगर, उपरोक्त वर्गीकरण की परिभाषा में आने वाली, कुछ योजनाओं में केंद्र का अनुदान 60:40 से कम है, तो ऐसी योजनाओं/उप-योजनाओं का मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न जारी रहेगा।

- अन्य ऑप्शनल योजनाएँ राज्यों के लिए वैकल्पिक रहेंगी और इन पर व्यय होने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित की जाएगी, जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 80:20 होगा। ऐसी कुछ योजनाएँ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आदि हैं।
- केंद्रीय बजट 2016-17 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या को सीमित करते हुए 28 कर दिया गया है।

छः कोर ऑफ़ द कोर योजनायें	**18 कोर योजनाओं के कुछ उदाहरण:**
• राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम • अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना • अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना (जनजातीय शिक्षा और वन बंधु योजना) • पिछड़े वर्गों एवं अन्य सुभेद्य वर्गों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना • अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना (a) बहुक्षेत्रीय योजना; (b) मदरसा एवं अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक योजना	• हरित क्रांति (a) कृषि उन्नति योजना (b) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना • श्वेत क्रांति- राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (पशुधन मिशन, पशु चिकित्सा सेवायें, डेयरी विकास) • प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना • स्वच्छ भारत अभियान • राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान • एकीकृत बाल विकास योजना • सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा करों में हिस्सेदारी के निर्धारण के पश्चात् करों का हस्तांतरण

- कर विभाज्य पूल में 42% तक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण राज्यों को हस्तांतरित कुल संसाधनों में अधिक वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2016-17 में राज्यों को सकल हस्तांतरण 9,18,093 करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2015-16 में यह 8,18,034 करोड़ रुपये था।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी परिणाम के आधार पर निगरानी की जाएगी तथा बजट में योजना और गैर-योजना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जायेगा।

- सभी मंत्रालयों और विभागों के योजना और गैर-योजना व्यय से संबंधित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया।

VISION IAS

- मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं को परिणाम के आधार पर अम्ब्रेला कार्यक्रमों और योजनाओं के रूप में पुनर्गठित किया गया है, ताकि संसाधनों का अपव्यय ना हो।

B.14. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2015

(Rights of Transgender Persons Bill, 2015)

सुर्खियों में क्यों?

- सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में **'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2015' के मसौदे को**, कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले, इसे अंतिम रूप देने के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा।

पृष्ठभूमि

- यह विधेयक उच्च सदन के सांसद तिरूचि शिवा द्वारा **निजी विधेयक** के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को 24 अप्रैल 2015 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था।
- लेकिन तब सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सांसद तिरूचि शिवा के विधेयक में व्याप्त कमियों को दूर करके सरकार स्वयं इस विधेयक को सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत करेगी।

निजी सदस्य विधेयक

- किसी विधेयक को निजी विधेयक माना जाये अथवा सरकारी विधेयक, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसे किसी सांसद के द्वारा निजी रूप से प्रस्तुत किया गया है अथवा सरकार के किसी मंत्री के द्वारा।
- संसद का कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है निजी सदस्य कहलाता है।
- लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार के अंतिम ढाई घंटे सामान्यतः निजी सदस्यों के मामलों यथा निजी सदस्यों के विधेयक संकल्प आदि के निपटारे के लिए आवंटित किये जाते हैं।
- इससे पहले उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार संवर्धन) विधेयक, 1968 अंतिम निजी सदस्य विधेयक था, जो संसद द्वारा पारित किया गया था। 9 अगस्त 1970 को यह कानून बना।

VISION IAS

मुख्य प्रावधान

- यह राज्य द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए आधार प्रदान करता है।
- उक्त विधेयक में कानून के समक्ष ट्रांसजेंडर लोगों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें OBC कोटे (सिवाय SC/ST के) के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित विभिन्न अधिकार और अन्य सुविधाएं प्रदान करने संबंधी प्रावधान हैं।
- **ट्रांसजेंडर की पहचानः**
  - ✓ ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 'पुरुष', 'स्त्री' या 'ट्रांसजेंडर' के रूप में किसी भी लिंग को चुनने का विकल्प होना चाहिये। साथ ही उन्हें सर्जरी/हार्मोनल से स्वतंत्र इनमें से कोई भी विकल्प चुनने का अधिकार होगा।
  - ✓ केवल 'ट्रांसजेंडर' नामकरण का उपयोग किया जाना चाहिए और 'अन्य' या 'दूसरे' जैसे शब्दों का प्रयोग नामावली में नहीं किया जाना चाहिए।
  - ✓ राज्य स्तरीय किसी प्राधिकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति होने का प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
- **अधिकार और सुविधाएं:**
  - ✓ ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारत के संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों का समान रूप से उपभोग कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
  - ✓ किसी भी बच्चे को इस आधार पर उसके माता-पिता से अलग नहीं किया जाएगा कि वह ट्रांसजेंडर है, ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश बच्चे के सर्वोत्तम हित में दिया गया हो।
  - ✓ सरकार ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी।
  - ✓ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए विधेयक में भारतीय दंड संहिता में आवश्यक संशोधन किये जाने संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।
- **भेदभाव का निषेध**
  - ✓ विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी उचित कदम उठाना और उनके साथ कोई भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।
  - ✓ किसी भी सार्वजनिक संस्था के द्वारा भर्ती, पदोन्नति सहित रोजगार से संबंधित अन्य किसी भी मुद्दे के संबंध में किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
  - ✓ विधेयक में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन, शिक्षा, कौशल विकास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के बारे में भी प्रावधान समाहित हैं।

VISION IAS

आवश्यकताएँ

- लगभग 6 लाख आबादी (जनगणना 2011) वाला ट्रांसजेंडर समुदाय, लंबे समय से उपेक्षित है, अंततः अब इस समुदाय को हमारे देश के नागरिकों के रूप में अपना न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
- विधेयक किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ किये जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाहित करता है। विधेयक में स्पष्ट रूप से उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। विधेयक के छात्रवृत्ति और आरक्षण आदि के प्रावधान उन्हें वास्तविक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगे।
- विधेयक लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाने तथा इस समुदाय के लोगों के साथ सम्मानजनक और दयालुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा।

B.15. उद्योग विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015

(Industries Development and Regulation Amendment Bill 2015)

सुर्खियों में क्यों?

- बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 को पारित कर दिया गया। ध्यातव्य है कि लोकसभा के द्वारा पहले ही दिसंबर 2015 में यह विधेयक पारित कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- विधेयक के द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है।
- उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में धातु, दूरसंचार, परिवहन, किण्वन (जिसमें शराब का उत्पादन भी शामिल है) जैसे कुछ उद्योगों के विकास एवं विनियमन संबंधी प्रावधान निहित हैं।
- अधिनियम की अनुसूची-1 में अधिनियम के तहत विनियमित होने वाले सभी उद्योगों का विवरण है।
- विधेयक अधिनियम के दायरे से पीने के प्रयोजन के लिए एल्कोहल के उत्पादन को बाहर करने के लिए अनुसूची में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- यह सभी मामलों में पीने योग्य एल्कोहल के उत्पादन वाले उद्योगों का नियंत्रण **पूरी तरह से राज्यों** को प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- हालांकि, केंद्र सरकार औद्योगिक और पीने योग्य एल्कोहल सहित किण्वन उद्योगों के सभी उत्पादों के लिए विदेशी साझेदारी के संबंध में नीति तैयार करने और विनियमन के लिए अभी भी जिम्मेदार रहेगी।

VISION IAS

B.16. रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल, 2016

(Regional Centre for Biotechnology Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- लोकसभा ने रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल, 2016 को पारित कर दिया है।
- विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के तत्वाधान में, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि कार्यों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के प्रावधान को समाहित करता है।

प्रावधान

- विधेयक इस क्षेत्रीय केंद्र के लिए **विधायी आधार** प्रदान करता है।
- विधेयक इस संस्थान को **राष्ट्रीय महत्व** का दर्जा प्रदान करता है।
- यह क्षेत्रीय केंद्र अनुसंधान और नवाचार को संपन्न करने के साथ ही जैव प्रौद्योगिकी के नवीन क्षेत्रों में शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के पारस्परिक सहयोग द्वारा प्रौद्योगिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

- भारत में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान उसे कहा जाता है जिसके द्वारा देश/राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है।
- केवल कुछ चुनिंदा संस्थान इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।
- भारत में आईआईटी, एनआईटी, एम्स, NIPERs, ISI जैसे कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पृष्ठभूमि

- भारत द्वारा वर्ष 2006 में यूनेस्को के साथ एक समझौता किया गया था, जिसके अनुसार यूनेस्को के सदस्य देशों के उपयोग हेतु क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जानी थी।
- इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान की वर्ष 2009 में स्थापना की गयी।

B.17. प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 में संशोधन

(Amendments in the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015)

सुर्खियों में क्यों?

- संसद की एक स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।

VISION IAS

प्रस्तावित संशोधन

- यह सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरण सेवाओं की सूची को अधिक समावेशी बनाएगा। इसके माध्यम से कुछ ऐसी पर्यावरणीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा जिनके मौद्रिक लाभों के आकलन के लिए कोई विश्वसनीय मॉडल उपलब्ध नहीं है।
- नए कानून के तहत नियम बनाने के पूर्व राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जायेगा।
- जिन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई विधायिका नहीं है, वहां यह केंद्र सरकार के द्वारा 'संघ के लोक-लेखा' के तहत कोष की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इसमें वन भूमि के संरक्षित क्षेत्रों में रूपांतरण के बदले उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन के उपयोग के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।
- यह सभी संबद्ध पक्षों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े मंत्रालयों के सचिवों को शामिल करने का प्रावधान करता है।
- इसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय में विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने का प्रावधान है।
- पुनः इसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का भी प्रावधान है।
- अधिनियम में जनजातीय मामलों के एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदाय के किसी प्रतिनिधि को राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति और कार्यकारी समिति दोनों में ही सदस्य के रूप में शामिल करना प्रस्तावित किया गया है।
- संशोधन के माध्यम से राज्य प्राधिकरणों की वार्षिक योजना के संचालन को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के लिए तीन महीने की समय सीमा तय कर दी गयी है।

प्रभाव

- यह एक कुशल और पारदर्शी तरीके से प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के पास सूचित अब तक व्यय नहीं की गयी, संचित निधि (लगभग 40000 रुपये) के त्वरित एवं सार्थक उपयोग को सुनिश्चित करेगा।
- यह अन्य कार्यों के उपयोग हेतु वन भूमि के रूपांतरण की स्थिति में पड़ने वाले प्रभावों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगा
- इन राशियों के सार्थक उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों, में उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

B.18. नेशनल इंस्टिट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क

(National institutions ranking framework)

- केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार विभिन्न संस्थानों की रैंकिंग प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation) के द्वारा रैंकिंग कार्य शुरू किया गया है।

VISION IAS

- 6 श्रेणियों के संस्थानों - इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों - के लिए रैंकिंग प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।
- इसके अनुसार IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान और IIM बंगलौर सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान हैं।
- विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस, बैंगलोर को प्रथम स्थान तथा इंस्टिट्यूट ऑफ़ केमिकल टेक्नोलॉजी (ICT), मुंबई को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

इसके अंतर्गत निर्धारित मानक में छः मुख्य तत्व शामिल हैं।

- शिक्षण (Teaching)
- अधिगम एवं संसाधन (Learning & Resources)
- अनुसंधान एवं पेशेवर कार्यप्रणाली (Research & Professional Practices)
- स्नातक परिणाम (Graduation Outcomes)
- विस्तार एवं समावेशन (Outreach & inclusivity)
- बोध (Perception)

B.19. आधार विधेयक, 2016

(Aadhaar Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आधार (टार्गेटेड डिलीवरी ऑफ़ फाइनेंसियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज) विधेयक, 2016 को हाल ही में संसद की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- विधेयक में भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए सब्सिडी और सेवाओं के लक्षित वितरण के लिए आधार कार्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

विधेयक की विशेषताएं:

- प्रत्येक निवासी (resident) एक आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा। एक निवासी वह व्यक्ति है जो किसी एक वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो।
- आधार कार्ड से संबंधित कार्यकलापों को संपादित करने के लिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ('यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी'–UID) का गठन किया जाएगा।
- **UID की संरचना**: एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अध्यक्ष और सदस्यों को प्रौद्योगिकी, प्रशासन आदि जैसे विषयों में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

VISION IAS

एक व्यक्ति द्वारा आधार संख्या प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:

- बायोमीट्रिक (फोटोग्राफ,फिंगर प्रिंट, आईरिस स्कैन)
- जनांकिकीय सूचना (नाम, जन्मतिथि, पता)
- यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (UID) विनियमों के द्वारा अन्य बायोमेट्रिक एवं जनांकिकीय सूचनाओं को भी अवाश्यक बना सकती है

- **UID प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:**
  - ✓ नामांकन के दौरान विशिष्ट जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करना।
  - ✓ प्रत्येक व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित करना।
  - ✓ आधार संख्या को प्रमाणित करना।
  - ✓ सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए आधार संख्या के उपयोग को विनिर्दिष्ट करना।
  - बॉयोमीट्रिक जानकारी (फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन और अन्य जैविक विशेषताएँ) को केवल आधार नामांकन (एनरोलमेंट) और प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तथा किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
  - इन्हें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में और न्यायालय के आदेश के उपरांत ही प्रकट किया जाएगा।
  - केंद्रीकृत डेटाबेस तक अनाधिकृत पहुँच (जिसमें किसी भी संगृहीत जानकारी का प्रकटीकरण भी शामिल है) के लिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपये के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

इस विधयेक के लाभ:

- फर्जी/ नकली लाभार्थी विभिन्न योजनाओं की सफलता में बाधा बने हुए हैं; इसलिए यह वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने में सक्षम होगा।
- यह बड़े पैमाने पर राजनीतिक और नौकरशाही से जुड़े भ्रष्टाचार को कम करने का एकल व सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है।
- यह गरीबों को किये जा रहे आय हस्तांतरण एवं सेवा वितरण को अधिक सक्षम बनाएगा।

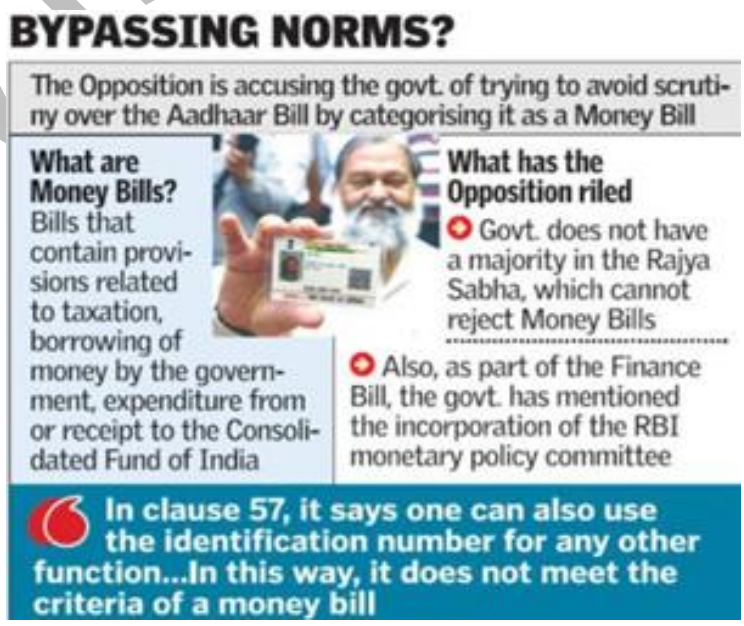

VISION IAS

विधेयक से जुड़े मुद्दे:

- आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किये जाने से राज्यसभा की भूमिका को नजरअंदाज किया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो राज्यसभा में चर्चा के दौरान बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हो सकते थे।

धन विधेयक: संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जायेगा, जब उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक या समस्त उपबंध होंगे:

1. किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन,
2. केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन,
3. भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी भी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकलना,
4. भारत की संचित निधि से धन का विनियोग,
5. भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उदघोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि,
6. भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा-परीक्षण, या
7. उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय।

अन्य प्रावधान:

- यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
- इस संबंध में उसके (अध्यक्ष के) निर्णय को किसी भी न्यायलय या संसद के किसी भी सदन या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।
- जब धन विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है।
- धन विधेयक केवल लोक सभा में और केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इस तरह के प्रत्येक विधयेक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल एक मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है।

VISION IAS

B.20.खाद्य सुरक्षा अधिनियम

(Food Security Act)

- झारखंड,तेलंगाना और उत्तराखंड ने अपने यहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू कर दिया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य देश की जनसंख्या के लगभग 67% भाग को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में

- भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के बदले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 विधिक अधिकारों के रूप में है।
- इसमें मध्यान्ह भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी शामिल है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में मातृत्व अधिकारों को भी शामिल किया गया है।
- मध्यान्ह भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजनायें अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक हैं जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबादी के लगभग दो-तिहाई भाग (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) तक अपनी पहुँच बनाएगी ।
- इस योजना के अनुसार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की कुछ श्रेणियाँ दैनिक मुफ्त भोजन के लिए पात्र हैं।

C. नीतियां/योजनाएं

C.1 नदियों का अंतर्संपर्क

(Interlinking of Rivers)

सुर्ख़ियों में क्यों:

- सरकार ने नदी जोड़ों (ILR) कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता आधार पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के अंर्तगत रखा है और केन-बेतवा लिंक परियोजना, दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पूरी की जा रही है।

राष्ट्रीय नदी संपर्क परियोजना (NRLP):

- औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में विदित राष्ट्रीय नदी संपर्क परियोजना (NRLP) में बाढ़ वाले बेसिनों से 'अतिरिक्त' जल को अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण के माध्यम से सूखे/अभाव वाले 'जल न्यून' बेसिनों में पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

- इस विशाल दक्षिण एशियाई जल ग्रिड का निर्माण करने के लिए लगभग 3000 भंडारण बांधों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में 37 नदियों को जोड़ने के लिए 30 कड़ियों (लिंक) का समावेश होगा। इसमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय, दो घटक सम्मिलित हैं।

VISION IAS

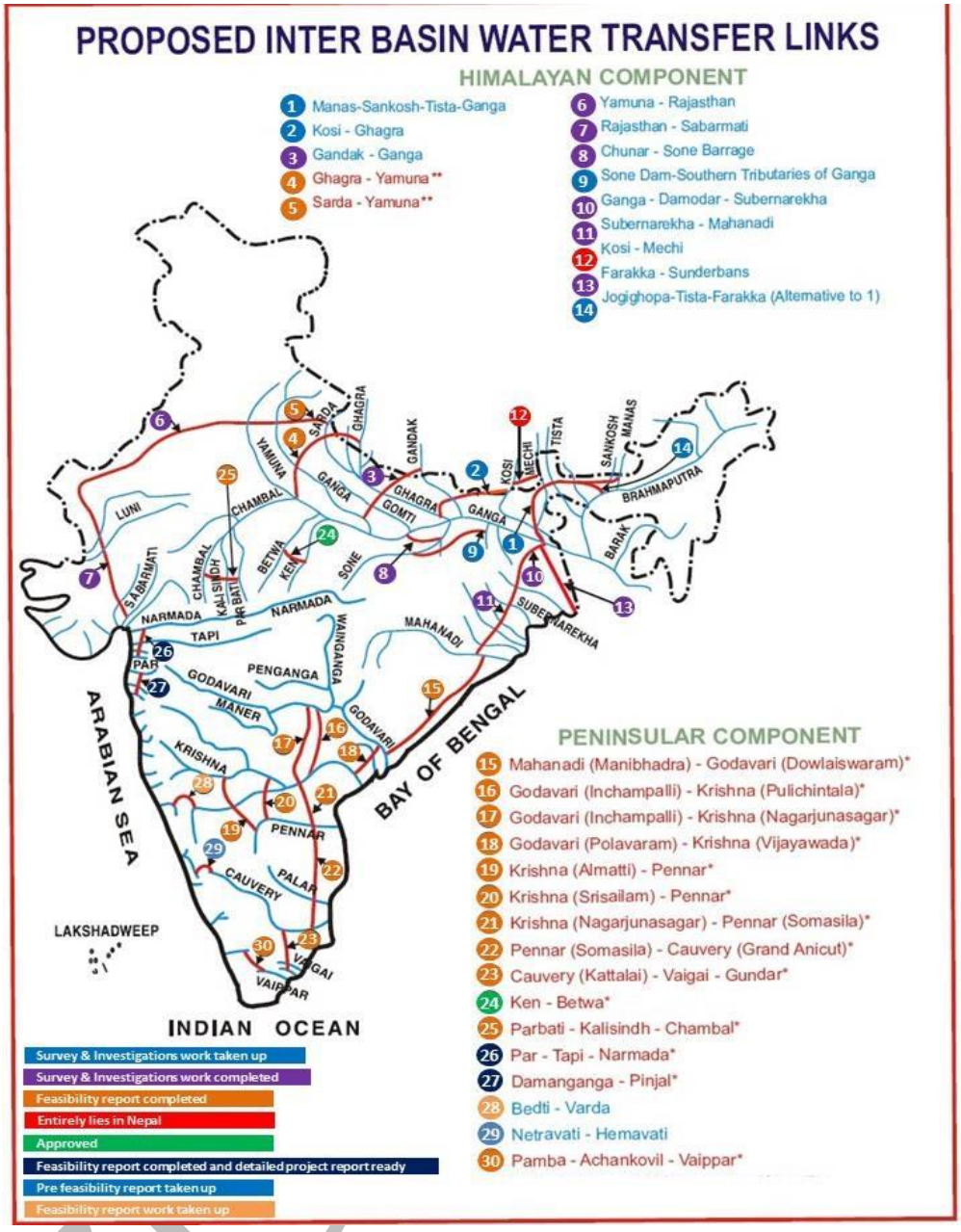

परियोजना के लाभ:

- **जल विद्युत उत्पादन:** इससे कुल 34 गीगावॉट विद्युत उत्पादन का दावा किया जा रहा है।
- **सिंचाई:** पानी की कमी से जूझ रहे पश्चिमी और प्रायद्वीपीय प्रदेशों में 35 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की व्यवस्था होगी। इसमें सतही सिंचाई के माध्यम से 25 मिलियन हेक्टेयर और भूमिगत जल के माध्यम से 10 मिलियन हेक्टेयर सम्मिलित है।
- **बाढ़ की रोकथाम:** नदियों के नेटवर्क से सूखे का सामना कर रहे क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी भेजकर बाढ़ की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।
- **नौवहन:** नहरों का नव निर्मित नेटवर्क नए मार्ग और रास्ते तथा जल नौवहन का मार्ग खोलेगा जो सामान्यत: सड़क परिवहन की तुलना में अधिक दक्ष और सस्ता होता है।

C.2 एन्क्रिप्शन (कूटबद्धीकरण) नीति का मसौदा

(Draft Encryption Policy)

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 84-A के तहत एन्क्रिप्शन के तरीकों और प्रक्रियाओं के लिए नियम तैयार किया जाना है। इस संबंध में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा राष्ट्रीय एन्क्रिप्शन नीति का मसौदा तैयार किया गया।
- इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में व्यक्तिगत, कारोबार और सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय संवेदनशील सूचना तंत्र और नेटवर्क के लिए सूचना सुरक्षा का वातावरण और सुरक्षित लेन-देन को समर्थ बनाना है।

एन्क्रिप्शन क्या है?

एन्क्रिप्शन किसी संदेश या सूचना को इस प्रकार कूटबद्ध करने की प्रक्रिया है जिससे कि इसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही पढ़ सके।

उदाहरण के लिए - "IAS" शब्द एन्क्रिप्टेड रुप में "JBT" बन सकता है यदि "IAS" शब्द के प्रत्येक वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले वर्ण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। 'IAS' को सही ढंग से वही पढ़ सकता है जिसे यह जानकारी है कि इसे कैसे कूटबद्ध किया गया है।

एन्क्रिप्शन के उपयोग

सभी मैसेजिंग सेवाएँ यथा व्हाट्स एप, वाइबर, गूगल चैट, याहू मैसेंजर एन्क्रिप्टेड सेवाओं का उपयोग करते हैं। बैंक और ई-कामर्स साइट भी पासवर्ड सहित वित्तीय और निजी डेटा की रक्षा के लिए एन्क्रिप्टेशन का उपयोग करते हैं।

भारत को एन्क्रिप्शन नीति की आवश्यकता क्यों है?

- इंटरनेट संचार और लेनदेन की सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु एन्क्रिप्शन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए।
- परिष्कृत एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी के युग में अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की जांच की सुविधा के लिए।
- एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि यह वासेनार समझौते (Wassenaar Agreement) के तहत भारत के लिए अनुपलब्ध और प्रतिबंधित है।
- रिटेल और ई-गवर्नेंस में उपभोग्ताओं का विश्वास बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को ऑनलाइन कार्य संपादन के लिए प्रोत्साहित करने तथा देश के अविकसित साइबर सुरक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए।
- एन्क्रिप्शन के दुरुपयोग के रोकने के लिए।

C.3 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

(Digital India Programme)

- यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वित कई सरकारी मंत्रालय तथा विभाग सम्मिलित हैं।

VISION IAS

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य देश को एक डिजिटल सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
- इसका लक्ष्य एक सहभागी तथा अनुक्रियाशील सरकार और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस का निर्माण करना है

डिजिटल इंडिया के नौ स्तम्भ

1. **ब्रॉडबैंड हाईवे**
   - इसमें अंतर्गत तीन उपघटक आते हैं – सभी ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा, सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा तथा राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना।
   - ✓ **सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड** के अंतर्गत दिसंबर, 2016 तक 2,50,000 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।
   - ✓ **सभी शहरी क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड** के अंतर्गत, वर्चुअल नेटवर्क आपरेटरों को सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त करते हुए, शहरी निर्माण और विकास के सभी कार्यक्रमों में संचार के आधारभूत ढांचे के विकास को अनिवार्य कर दिया जायेगा।
   - ✓ **राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना** SWAN, NKN तथा NOFN जैसे नेटवर्कों को क्लाउड आधारित राष्ट्रीय तथा राज्यीय आंकड़ा केन्द्रों के साथ एकीकृत करेगी।
2. **यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी तक पहुँच**
3. **पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम**
   - इस कार्यक्रम के दो उप घटक हैं- सार्वजनिक सेवा केंद्र तथा बहु-सेवा केन्द्रों के रूप में डाक घर।
   - ✓ **सार्वजनिक सेवा केन्द्रों (CCS)** को सशक्त बनाया जाएगा तथा इसकी संख्या वर्तमान 1,35,000 कार्यरत केन्द्रों से बढ़ा कर 2,50,000 की जाएगी अर्थात प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक सेवा केंद्र होगा। सार्वजनिक सेवा केन्द्रों को सरकारी तथा व्यावसायिक सेवायें प्रदान करने के लिए व्यवहार्य, बहु-प्रकार्यात्मक अंतिम बिंदु के रूप में बनाया जाएगा।
   - ✓ कुल 150,000 डाकघरों को बहु-सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।
4. **ई-गवर्नेंस– प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार**
   - प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार लाने के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं- विभिन्न सेवाओं के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों (forms) को आसान बनाना और इसमें निहित मदों को कम करना; ऑनलाइन आवेदन और उनकी स्थिति की ट्रैकिंग; ऑनलाइन दस्तावेजों का अनिवार्य उपयोग जैसे विद्यालयी प्रमाणपत्र, मतदाता पहचानपत्र आदि।
   - **इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस-** सभी डेटाबेस और सूचना इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, हस्तचालित नहीं।
   - **सरकार की आंतरिक कार्यवाही का स्वचालन-** कार्य-कुशल सरकारी प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए और नागरिकों के लिए इन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के लिए सरकारी एजेंसियों के अंदर की कार्यवाही को स्वचालित किया जाना चाहिए।
   - **लोक शिकायतों का निपटारा-** निरंतर बनी हुई समस्याओं की पहचान करने तथा उनका समाधान करने हेतु आंकड़ों को स्वचालित करने, प्रत्युत्तर देने तथा विश्लेषण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये मुख्य रूप से प्रक्रियागत सुधार होंगे।
5. **ई-क्रान्ति (NeGP 2.0) - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी**

VISION IAS

- ई-शासन परियोजना जीवनचक्र के विभिन्न चरणों के अंतर्गत मिशन मोड की कुल 31 परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, NeGP की शीर्ष समिति ने ई-क्रान्ति में 10 नयी मिशन मोड परियोजनाओं को जोड़ा है।
- **शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी– ई-शिक्षा:** सभी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क Wi-Fi प्रदान किया जाएगा (इसके अंतर्गत कुल 250,000 विद्यालय आयेंगे)। राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। ई-शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रमों (MOOCs) को संचालित और सशक्त किया जाएगा।
- **स्वास्थ्य हेतु प्रौद्योगिकी–ई-स्वास्थ्य:** ई-स्वास्थ्य सेवा में जहाँ एक ओर ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श, ऑनलाइन चिकित्सकीय आंकड़े हर जगह उपलब्ध होंगे वहीँ इसके माध्यम से ऑनलाइन औषधि आपूर्ति और रोगी से सम्बंधित सूचना का पूरे भारत में आदान-प्रदान किया जा सकेगा।
- **किसानों के लिए प्रौद्योगिकी:** इससे किसानों को वास्तविक मूल्य की जानकारी, इनपुट्स (आगत) को ऑनलाइन मँगाने तथा ऑनलाइन नगद पाने और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऋण तथा राहत भुगतान पाने में सहायता मिलेगी।
- **सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी:** मोबाइल आधारित आपातकालीन सेवायें तथा आपदा संबंधी सेवायें नागरिकों को वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि समय रहते निवारक उपाय किये जा सकें।
- **वित्तीय समावेशन हेतु प्रौद्योगिकी:** मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-ए.टी.एम. कार्यक्रम तथा सी.सी.एस./डाकघरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सशक्तता प्रदान की जायेगी।
- **न्याय हेतु प्रौद्योगिकी:** ई-न्यायालय, ई-पुलिस, ई-कारागारों, तथा ई-अभियोजन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त किया जा सकेगा।
- **नियोजन हेतु प्रौद्योगिकी:** किसी परियोजना के संबंध में योजना निर्माण, परिकल्पना, डिजाईन तथा विकास के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय GIS मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- **साइबर सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी:** देश के भीतर सुरक्षित तथा विश्वसनीय साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र की स्थापना की जायेगी।

6. सबके लिए सूचना

- सरकार नागरिकों को आवश्यक जानकारियाँ प्रदान करने हेतु सोशल मीडिया तथा वेब आधारित मंचों के माध्यम से अग्र सक्रिय रूप से संपर्क स्थापित करेगी।
  - ✓ सरकार के साथ विचारों/सुझावों का आदान-प्रदान करने के लिए **MyGov.in** का शुभारम्भ पहले ही किया जा चुका है। यह नागरिकों तथा सरकार के बीच दो तरफ़ा संवाद को सुगम बनाएगा।

7. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण– आयात शून्य तक लाने का लक्ष्य

8. रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

- आने वाले पांच वर्षों में छोटे शहरों तथा गाँवों के 1 करोड़ विद्यार्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में रोज़गार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित विकास को सुगम बनाने हेतु BPO की स्थापना की जायेगी।

VISION IAS

- ***3 लाख सेवा वितरण एजेंटों*** को सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित सेवायें प्रदान/वितरित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9. **अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम**

- **संदेशों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंच:** इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक जन सन्देश (मॉस मेसेजिंग) अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) तैयार किया गया है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सभी सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आयेंगे।
- **बायोमेट्रिक उपस्थिति:** इसके दायरे में दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आयेंगे।
- **सभी विश्वविद्यालयों में Wi-Fi की सुविधा**
- **सार्वजनिक Wi-Fi हॉटस्पॉट:** डिजिटल शहरों को बढ़ावा देने के लिए *10 लाख से अधिक की जनसंख्या* वाले शहरों तथा *पर्यटक केन्द्रों* को Wi-Fi हॉटस्पॉट प्रदान किये जायेंगे। इस योजना को दूर संचार विभाग तथा शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- **खोया-पाया बच्चों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:** यह खोये तथा पाए गए बच्चों के सम्बन्ध में वास्तविक समय आधारित सूचना एकत्रित करने तथा उसे साझा करने को सुगम बनाएगा। इससे अपराध पर नियंत्रण तथा समय पर कार्यवाही करने में बहुत सहायता मिलेगी। हाल ही में *खोया-पाया पोर्टल* का शुभारम्भ किया गया है।

डिजिटल लॉकर:

- डिजिटल लॉकर सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए ई-दस्तावेजों के साथ ही यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स पहचानकर्ता (URI) के ई-दस्तावेजों के लिए एक समर्पित व्यक्तिगत भंडारण स्थान है। इस प्रणाली में *ई-हस्ताक्षर* सुविधा भी उपलब्ध होगी जिसका प्रयोग संग्रहित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक लॉकर, व्यक्ति की आधार संख्या से जुड़ा होगा।
- इस कदम का उद्देश्य भौतिक (कागजी) दस्तावेजों के प्रयोग को कम से कम करना तथा ई-दस्तावेजों को प्रामाणिकता प्रदान करना है। इस प्रकार यह सरकार द्वारा निर्गत दस्तावेजों तक सुरक्षित पहुँच प्रदान करता है। इससे सरकारी विभागों तथा एजेंसियों के प्रशासकीय खर्चों में भी कमी आयेगी तथा नागरिकों के लिए सेवायें प्राप्त करना सरल हो जाएगा।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ से अंत तक पूरी छात्रवृत्ति प्रक्रिया के लिए समग्र समाधान प्रस्तुत करता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त छात्रवृत्तियों के लिए विद्यार्थी द्वारा आवेदन, सत्यापन और लाभार्थी तक संवितरण की स्वीकृति हेतु यह पोर्टल डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण साधन है।

C.4 सड़क परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल

(Portals for Bringing Transparency in Road Projects)

- NHIDL राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित समस्त सूचनाओं को प्रदान करने के लिए इंफ्राकॉन (infracon) और ई-पेस (e-Pace) के रूप में दो नए पोर्टल प्रारंभ करेगी।
- इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने आधारभूत परियोजनाओं तथा इससे संबंधित सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के लिए 'इनाम-प्रो-प्लेटफॉर्म' (INAM–PRO platform) की भी प्रारंभ किया है।

VISION IAS

इंफ्राकॉन	ईनाम -प्रो (INAM-PRO)	ई-पेस (e-PACE)
• इसमें वैयक्तिक परामर्शदाताओं और सभी परामर्शदाता संस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी निहित होगी। • यह बुनियादी सुविधाओं के सलाहकार के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा जहां व्यक्तिगत सलाहकार के साथ-साथ परामर्श फर्म खुद को रजिस्टर कर सकते है। • यहां इनकी विश्वसनीयता उपलब्ध करायी जाएगी और लोगों तक उसकी पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। • यह क्षेत्र में उपलब्ध परामर्शदाताओं का सबसे बड़ा पूल उपलब्ध कराएगा।	• इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र अथवा राज्य सरकार की एजेंसियां पंजीयन कर आपूर्तिकर्ताओं से सीधे थोक में सीमेंट खरीद सकेंगी। • पहले से ही 33 सीमेंट कंपनियां और 107 प्लांट विभिन्न परियोजनाओं के लिए सस्ती दरों पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत हैं।	यह लोगों को राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति, वित्तीयन तथा अन्य विवरणों के बारे में जानने में सहायता प्रदान करेगा। **NHIDL:** इसका गठन जुलाई 2014 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप देश के सीमावर्ती क्षेत्रों और दुष्कर क्षेत्रों में सड़क निर्माण को तेजी से संचालित करने के लिए किया गया।

C.5 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

(Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission)

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात नामक स्थान से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का शुभारंभ किया।
- रुर्बन मिशन पिछली सरकार के द्वारा आरम्भ PURA (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना) का स्थान लेगा।

उद्देश्य:

- इन क्लस्टरों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर तथा कौशल और स्थानीय उद्यमिता के विकास तथा बुनियादी ढांचा सुविधायें बढ़ाकर समूचे क्षेत्र का विकास किया जायेगा।
- यह योजना रुर्बन संवृद्धि क्लस्टरों के विकास के माध्यम से समूचे क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगी। इसके माध्यम से देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों को लाभ होगा।
- योजना के माध्यम से जहाँ एक ओर ग्रामीण विकास को सशक्त किया जायेगा वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों से अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति के द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास किया जा सकेगा।

विशेषताएं:

- रुर्बन मिशन से स्मार्ट गांवों के एक क्लस्टर का विकास होगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार राज्य सरकार क्लस्टर की पहचान करेगी।
- इस मिशन के अंतर्गत तीन वर्षों में 5100 करोड़ रुपये के निवेश के द्वारा 300 क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। इस साल 100 क्लस्टरों को परियोजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित किया जायेगा।

VISION IAS

- इस योजना के तहत गांव के क्लस्टरों में **14 अनिवार्य घटकों** से संबंधित विकास कार्यों को सुनिश्चित किया जायेगा। इनके अंतर्गत सभी क्लस्टरों में डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, नल-जल आपूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं विकसित की जायेंगी। यह योजना सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, आश्रय स्थल, बिजली, पीने के पानी आदि के सुधार पर केन्द्रित होगी।
- ये क्लस्टर भौगोलिक दृष्टि से ग्राम पंचायत से संबद्ध होंगे जहाँ की जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों एवं तटीय क्षेत्रों में 25000 से 50000 तथा रेगिस्तानी, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 तक होगी।
- रुर्बन क्लस्टर के विकास के लिए फंडिंग इन क्षेत्रों में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जुटाया जायेगा।
- मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय अंश रूप में प्रति परियोजना लागत की 30 प्रतिशत की अतिरिक्त वित्तीय सहायता 'क्रिटिकल गैप फंडिंग' के रूप में प्रदान की जाएगी, ताकि परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि तथा उपलब्ध धनराशि के बीच के अंतराल को कम किया जा सके।
- मिशन के अंतर्गत समूचे कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र, दोनों ही स्तरों पर संस्थागत ढांचे के निर्माण की परिकल्पना निहित है।
- मिशन के अंतर्गत अनुसंधान, विकास और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए एक अभिनव बजट (innovation Budget) की व्यवस्था की गयी है।
- जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में क्लस्टरों के चयन के सन्दर्भ में अलग-अलग दृष्टकोण अपनाया जायेगा।

C.6 दवा मूल्य निर्धारण नीति

(Drug Pricing Policy)

- हाल ही में सरकार ने दवाओं के मूल्यों और विशेषतः बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है ।
- इस समिति में, DIPP, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) तथा औषधि विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- यह समिति औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO),2013 का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013

- **DPCO** (2013) मई 2013 में लागू किया गया जिसका लक्ष्य पूरे देश में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा वहनीय कीमत पर मूलभूत दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इसकी अधिसूचना रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के द्वारा जारी की गयी थी।
- यह राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को 348 आवश्यक दवाओं के मूल्यों के नियमन का अधिकार प्रदान करता है।
- इस आदेश के अनुसार **आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines (NLEM))** में विनिर्दिष्ट सभी शक्तियां तथा मात्रा मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आयेंगें।
- पूर्व में DPCO आदेश (1995) उत्पादन की लागत के आधार पर दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण करते थे, किन्तु अब इस आदेश में अधिकतम मूल्य को बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली द्वारा बाजार मूल्य से जोड़ा जाएगा।

VISION IAS

D. रिपोर्ट/समितियाँ

D.1 कटोच समिति की रिपोर्ट

(Katoch Committee Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार, **चीन से थोक दवा के आयात में कटौती करने के लिए कटोच समिति की अनुशंसाओं** को लागू करेगी।

थोक दवा या **सक्रिय औषधीय सामग्रियां (Active Pharmaceutical Ingredients)** किसी दवा में उपयोग होने वाली सक्रिय कच्ची सामग्रियां (raw materials) हैं जो इसे उपचारात्मक प्रभाव (therapeutic effect) प्रदान करती हैं।

सक्रिय औषधीय सामग्रियों (API) पर कटोच समिति की अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं:

- सक्रिय औषधीय सामग्रियों (API) के लिए वृहद् विनिर्माण क्षेत्रों (LMZs) अथवा मेगा पार्कों की स्थापना रियायती दर अथवा निःशुल्क उपलब्धता वाली सामान्य (कॉमन) सुविधाओं के साथ करना। इसके देखरेख हेतु एक अलग स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) की व्यवस्था करना।
- मेगा पार्कों में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जैसे- अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETPs), परीक्षण सुविधाएँ, सुनिश्चित विद्युत् आपूर्ति, सामान्य उपयोगिता सेवाएं जैसे कि भंडारण, परीक्षण प्रयोगशाला, IPR प्रबंधन आदि।
- इस क्षेत्र में क्रांतिक परिवर्तन लेन के लिए कुछ बड़े API मध्यवर्ती क्लस्टरों को तत्काल प्रारंभ करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह का एक कलस्टर प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ डॉलर ला सकता है।
- एकल खिड़की मंजूरी और राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन जैसे- टैक्स ब्रेक, सॉफ्ट लोन इत्यादि उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

D.2 रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय समिति की रिपोर्ट

(Bibek Debroy Committee Report On Restructuring of Railways)

- भारतीय रेल के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय समिति की रिपोर्ट पांच साल का रोडमैप निर्धारित करती है जिसमें एक सांविधिक रेल नियामक विकसित करने, रेल बजट समाप्त करने और "खुली पहुँच" ("open access") व्यवस्था के अंतर्गत अन्य लोगों को भी स्थान देने की बात की गयी है जो रेलवे के क्षेत्र में निवेश करना चाह रहे हैं। यह व्यवस्था रेलवे को मात्र एक अन्य ट्रेन-सेवा प्रदाता में बदल देगी।
- समिति की सिफारिशों **तीन स्तंभों** पर आधारित हैं:

VISION IAS

✓ वाणिज्यिक लेखा।

✓ मानव संसाधन में परिवर्तन।

✓ एक स्वतंत्र नियामक।

- रिपोर्ट में कम से कम तीन सचिव स्तर के अधिकारियों ("रेलवे बोर्ड के साथ संलग्न नहीं") के साथ एक रेल मंत्रालय के सृजन की परिकल्पना की गयी है जो रेल सेक्टर के लिए, न कि केवल रेलवे के लिए, नीति निर्धारित करेगा जिससे "प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो ... निजी प्रवेश और निजी निवेश को बढ़ावा मिले।
- रिपोर्ट एक स्वतंत्र, अर्ध न्यायिक रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करता है जो रेलवे की पुरानी संरचना को परिवर्तित करने और पुनर्गठन के लिए पूर्व शर्त है। तकनीकी मानक और माल ढुलाई दरें निर्धारित करना तथा विवादों को हल करना नियामक पर निर्भर करेगा। नियामक किराया संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन यह रेल मंत्रालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
- रेल बजट का अस्तित्व 5 साल के बाद समाप्त हो जाना चाहिए और सरकार को सब्सिडी के माध्यम से रेलवे द्वारा वहन सामाजिक लागत का पूरा बोझ उठाना चाहिए।
- खुली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह रिपोर्ट रेलवे ट्रैक निर्माण, ट्रेन संचालन, और रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाइयों को अलग-अलग संस्थाओं के अंतर्गत पृथक करने की सिफारिश करती है ।

D.3 दक्षिण-एशिया में शहरीकरण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

(World Bank report on Urbanization in South Asia)

- दक्षिण-एशिया का शहरीकरण *"अस्तव्यस्त और अघोषित"* (Messy & Hidden Urbanization) है। इनमें अनुमानित रूप से 130 मिलियन दक्षिण एशियाई लोग अस्थायी बस्तियों जैसे कि मलिन बस्तियों और अव्यवस्थित रूप से फैले क्षेत्रों(sprawl) में निवास करते हैं।
- अघोषित शहरीकरण भारत की आबादी के बड़े हिस्से में देखा जाता है जिसमें शहरी विशेषताएं तो हैं परंतु ये आधिकारिक रूप से शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

शहरीकरण का महत्व:

विश्व की 54% से अधिक जनसंख्या अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% निर्मित करती है, दो तिहाई वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है और 70% ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। शहरीकरण आर्थिक गतिविधियों का संकेन्द्रण करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है और विशिष्ट रुप से विनिर्माण और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है।

VISION IAS

- शहरी जनसंख्या की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन से प्रेरित नहीं है, जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2001 और 2011 के बीच 44% शहरी जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि के कारण थी और 29.5% वृद्धि ग्रामीण बस्तियों के जनगणना नगर (Census town) के रूप में पुनर्वर्गीकरण के कारण थी।
- रिपोर्ट ने शहरीकरण की प्रक्रिया में निहित आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नीतिगत और संस्थागत स्तर पर पहल किये जाने का आह्वान किया गया है।

D.4 लोढ़ा समिति की सिफारिशें:

(Lodha Committee Recommendations)

पृष्ठभूमिः

- BCCI की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित तीन सदस्यीय लोढ़ा समिति ने 4 जनवरी 2016 को सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके द्वारा IPL 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामलों के उपरांत आरंभ हुए घटनाक्रमों को तार्किक निष्कर्ष प्रदान करने की कोशिश की गई है। क्रिकेट में सुधारों से संबंधित इस कमेटी की रिपोर्ट चार भागों में विभाजित है।
- प्रथम भाग में समिति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है।
- द्वितीय भाग BCCI से संबंधित समस्याओं से संबद्ध है। यह भाग 'हितों के टकराव', (Conflict of Interest) भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का अभाव जैसी समस्याओं के स्वरूप पर प्रकाश डालता है तथा इनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है।
- तृतीय खंड क्रिकेट में सुधारों से संबंधित है। यह परिशिष्ट के रूप में है जिसमें प्रश्नावली सम्मिलित हैं, जिसे BCCI और अन्य हितधारकों को सौंपा गया है।
- चतुर्थ भाग 2013 के स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से संबंधित मामलों में IPL के भूतपूर्व मुख्य संचालन अधिकारी सुन्दर रामन को दोषमुक्त किए जाने से संबंधित है।

VISION IAS

प्रमुख सुझाव

- **संरचनाः** खेल संगठन में राज्यों के उचित प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों के निपटान के लिए समिति ने 'एक राज्य-एक सदस्य-एक मत' (One State – One Member – One Vote) की नीति को प्रस्तावित किया है।
- **शासनः** BCCI की कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर समिति के द्वारा विचार किया गया है जैसे- शक्ति का केन्द्रीकरण, सामर्थ्य का अभाव तथा विभिन्न कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन न होना। समिति ने क्षेत्रीय संदर्भों, खिलाड़ियों तथा विशेष रूप से महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व न होना, असीमित कार्यकाल तथा अयोग्यता संबंधी कोई प्रावधान न होने जैसे मुद्दों का गंभीरता से रिपोर्ट में उल्लेख किया है। समिति का मानना है कि ऐसे मुद्दों का समाधान BCCI में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है।
- **IPL और BCCI को पृथक करनाः** समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि IPL को BCCI की अन्य गतिविधियों से पृथक किया जाए। समिति ने BCCI की शासकीय परिषद (Governing Council) की सदस्यता सहित सम्पूर्ण संरचना में व्यापक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है।
- समिति ने एक **लोकपाल (Ombudsman), एक नैतिकता अधिकारी (ethics officer) तथा एक निर्वाचन अधिकारी** के रूप में तीन नए पद सृजित करने का सुझाव दिया गया है।
- **BCCI को RTI Act की परिधि में लाना-** समिति के अनुसार लोगों को BCCI के कार्यों, सुविधाओं और अन्य गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। इसलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया जाए। सूचना के अधिकार संबंधी प्रावधान स्वयं BCCI की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेंगे।
- **सट्टेबाजी को वैधानिक बनाना-** समिति ने सशक्त प्रावधानों के साथ क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है, किंतु यह खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए।
- **खिलाड़ियों के लिए संगठन-** समिति ने खेल संगठनों की भांति खिलाड़ियों के लिए भी संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस संगठन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तथा प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेल चुके ऐसे सभी भारतीय क्रिकेटरों को सदस्यता दी जानी चाहिए जिन्हें खेल से सन्यास लिए हुए पांच वर्ष से अधिक समय न बीता हो।

D.5 भारत के डिजिटल रूपांतरण के मार्ग की बाधाएं: विश्व विकास रिपोर्ट-2016

(Hurdles in India's Digital Transformation: WDR 2016)

- रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि विकासशील देशों में भारत आईटी सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक और कुशल श्रमशक्ति से संपन्न है। हालांकि इसके बावजूद भारत अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था के डिजिटल रूपांतरण के मामले में चीन से काफी पीछे है।
- विश्व बैंक ने हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट '**डिजिटल लाभांश**' में इस विषय में प्रकाश डाला है।

VISION IAS

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ :

- भारत में 'डिजिटल पहुँच अंतराल' और 'डिजिटल क्षमता अंतराल' दोनों ही उच्च स्तर पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, क्षमता अंतराल समग्र व्यावसायिक परिवेश और मानव संसाधन की गुणवत्ता के कारण है।
- **गुणवत्तायुक्त अवसंरचना में सुधार की धीमी गति-** एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक, भंडारण, डाक वितरण प्रणाली और बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार की धीमी गति डिजिटल रूपांतरण के मार्ग की प्रमुख बाधा है।
- प्रौद्योगिकीय नवाचारों जैसे कि मोबाइल मनी या राइड शेयरिंग सर्विस जैसे नवीन क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं के प्रति भारतीय विनियामकों का जरूरत से ज्यादा सतर्क दृष्टिकोण डिजिटल स्टार्ट-अप कंपनियों के नए बाजारों में प्रवेश और बेहतर प्रदर्शन करने के मार्ग की प्रमुख बाधा है।
- **कौशल और शिक्षा का निम्न स्तर:** भारत की वयस्क आबादी का लगभग 25 प्रतिशत अभी भी पढ़-लिख पाने में सक्षम नहीं हैं जबकि चीन में यह आंकड़ा मात्र 5 प्रतिशत है।
- **शिक्षा की निम्न गुणवत्ता:** हाल ही की ASER (Annual Status of Education Report (ASER)) के अनुसार ग्रामीण भारत में 16 वर्ष और उससे नीचे के 10 प्रतिशत बच्चे एकल अंकों की संख्या की लगातार सटीक पहचान करने में सक्षम नहीं हैं।

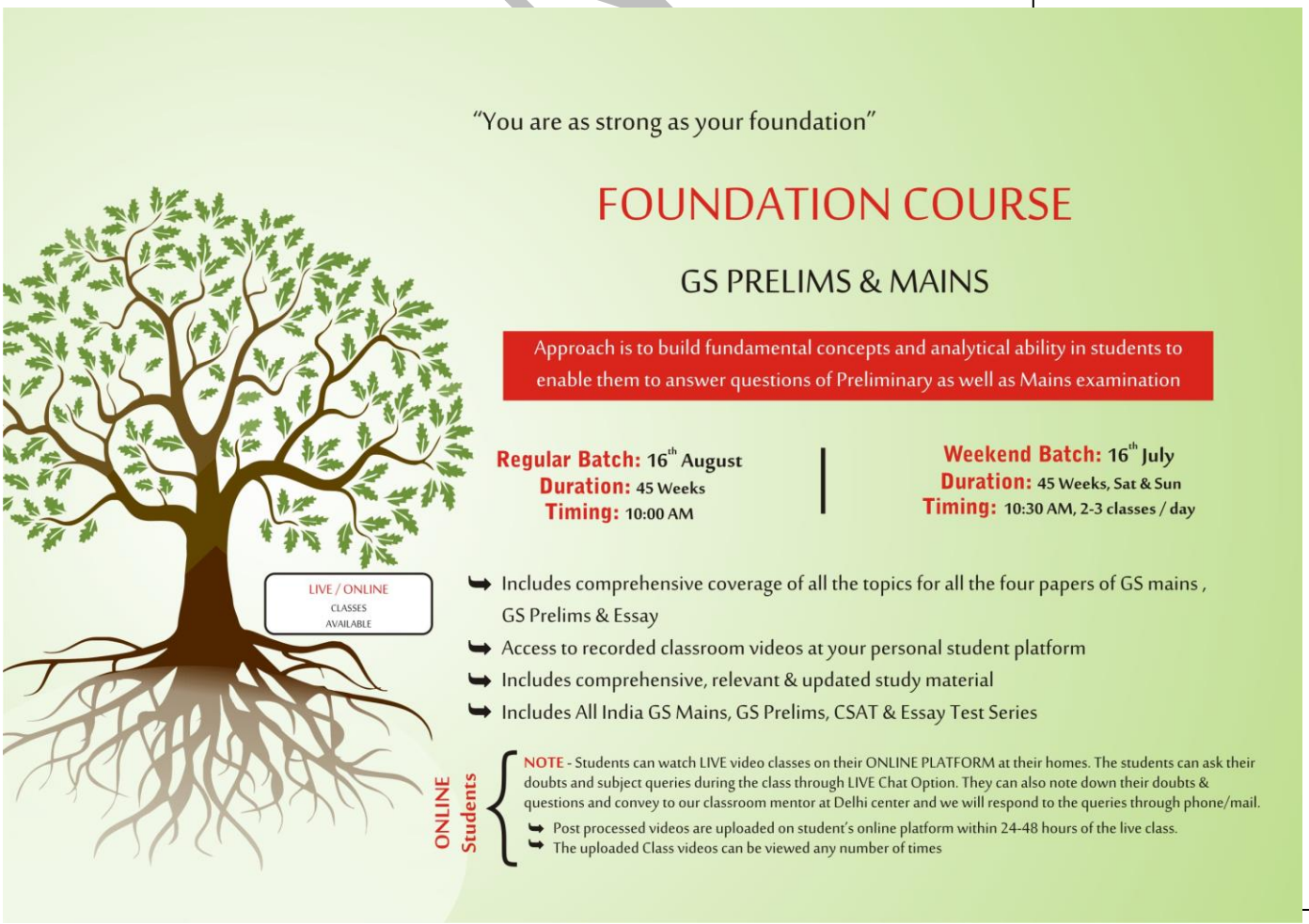

E. सूचकांक

E.1 आईसीटी विकास सूचकांक (IDI)

(ICT DEVELOPMENT INDEX (IDI)

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच के स्तर का मापन करने वाले वैश्विक सूचकांक में **167 राष्ट्रों में भारत को 131वां स्थान** दिया गया है।
- 2010 की IDI रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक में छह स्थानों की गिरावट आई है।
- भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रसार में सुधार के बावजूद भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है:
- 'ICT पहुंच' उप-सूचकांक का उपयोग ICT तत्परता का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसमें **पांच संकेतक** सम्मिलित हैं-
  - ✓ फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्रिप्शन
  - ✓ मोबाइल सेलुलर टेलीफोन सब्सक्रिप्शन
  - ✓ प्रति इंटरनेट उपयोगकर्ता अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ
  - ✓ कंप्यूटर वाले परिवारों का प्रतिशत
  - ✓ इंटरनेट तक पहुंच वाले परिवारों का प्रतिशत।

आई.डी.आई. से संबंधित तथ्य:

- इसे **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह एक मानक उपकरण है, जिसके द्वारा विभिन्न सरकारें, संचालक, विकास अभिकरण, शोधकर्ता और अन्य लोग देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच डिजिटल डिवाइड की माप करने और ICT प्रदर्शन की तुलना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विकास सूचकांक तीन समूहों: पहुँच, उपयोग और कौशल में विभक्त 11 ICT संकेतकों पर आधारित है।

E.2 वैश्विक कानून का शासन सूचकांक

(Global Rule of Law Index)

- कानून का शासन सूचकांक 2015, अमेरिका स्थित **वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP)** द्वारा जारी किया गया, इसमें विश्व के 102 देशों को स्थान दिया गया है।
- वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) कानून का शासन सूचकांक 2015 में शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। 2015 के सूचकांक अनुसार, भारत का समग्र कानून के शासन का प्रदर्शन दक्षिण

VISION IAS

एशियाई क्षेत्र में छह देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण एशिया में नेपाल शीर्ष स्थान पर रहा।

- **भारत को दीवानी न्याय तक पहुँच में निम्न रैंक -** समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है।
- प्रत्येक राज्य में नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी करने के लिए एवं लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और राज्य में लोक अदालत का संचालन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित उच्च न्यायलय के माननीय मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
- प्रत्येक जिले में कानूनी सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है और संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP)

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) एक स्वतंत्र, बहुविषयक संगठन है जो दुनिया भर में कानून के शासन की प्रगति के लिए काम कर रहा है।

कानून का शासन सूचकांक

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कानून का शासन सूचकांक एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है जो इस तथ्य का विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि विभिन्न देशों में, कानून के शासन के सिद्धांत पालन व्यवहार में किस हद तक किया जा रहा है। सूचकांक कानून के शासन के आठ आयामों पर नए आंकड़े प्रदान करता है। ये आयाम हैं: (1) **सरकार की सीमित शक्तियाँ**; (2) **भ्रष्टाचार का अभाव**; (3) **आदेश और सुरक्षा;** (4) **मौलिक अधिकार;** (5) **खुली सरकार;** (6) **विनियामक प्रवर्तन**; (7) **नागरिक न्याय;** और (8) **आपराधिक न्याय**।

E.3 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015

(Global Peace Index 2015)

- 2015 के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स, गैर-लाभकारी संगठन **इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस** द्वारा जारी किया गया जिसमें विश्व के 162 देशों को शामिल किया गया। यह इंडेक्स **22 संकेतकों** जैसे कि **सैन्य खर्च**, **मानव हत्या दर** और **संघर्ष के कारण मौतें**, **नागरिक अवज्ञा और आतंकवाद** आदि पर आधारित है।

VISION IAS

- ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को **143वां** स्थान प्राप्त हुआ है जो कि भूटान (18), नेपाल (62), श्रीलंका (114), और बांग्लादेश (84) से भी पीछे है। पाकिस्तान को 154वां जबकि अफ़ग़ानिस्तान को 160वां स्थान मिला है।

E.4. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2015

- बर्लिन आधारित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2015 जारी किया है।
- भारत का रैंक में सुधार हुआ है और यह वर्तमान रैंकिंग में 85 वें स्थान से 76 वें स्थान पर आ गया है।
- 2015 के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) में भारत का स्कोर 38 रहा, जोकि पिछले वर्ष भी समान था।
- भारत छह अन्य देशों ब्राजील, बुर्किना फासो, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और जाम्बिया के साथ यह रैंक साझा करता है।
- करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2015 में 168 देशों की रैंकिंग की गयी जबकि 2014 में 174 देशों की रैंकिंग की गयी थी।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अवलोकन:

- उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों के प्रमुख लक्षण:

✓ प्रेस की स्वतंत्रता का उच्च स्तर;

✓ बजट सूचना तक पहुँच जिससे कि लोगों को पता चल सके की पैसा कहाँ से आ रहा और कहाँ खर्च किया जा रहा है;

✓ सत्ता में बैठे लोगों में ईमानदारी का उच्च स्तर;

✓ न्यायपालिका जोकि अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं करती हैं और ये सरकार के अन्य अंगों से सही मायने में स्वतंत्र हैं।

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) क्या है?

- CPI दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सूचक है। यह एक समग्र सूचकांक है जो विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच सहित सम्मानित संस्थानों द्वारा किये गये सर्वेक्षण और मूल्यांकन से एकत्र परिणामों को जोड़ता है।
- यह कई कारकों को ध्यान में रखता है जैसे कि क्या सरकारी नेताओं को भ्रष्टाचार के लिए सजा दी जाती है या बिना दंड के छोड़ दिया जाता है, घूस का कथित प्रचलन और क्या सार्वजनिक संस्थान नागरिकों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया देते हैं।
- अपनाये गए स्कोरिंग सिस्टम के अनुसार 0-100 पैमाने पर उच्च स्कोर देश में कम भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

VISION IAS

F. विविध

F.1 ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

(NATIONAL AWARD ON E-GOVERNANCE)

- 2015-16 के लिए ई-प्रशासन का राष्ट्रीय पुरस्कार **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** को **सार्वभौमिक खाता संख्या** (Universal account number-UAN) जारी करने के लिए दिया गया है।
- EPFO ने 'ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग' ('innovative use of technology in e-governance') श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक वैधानिक संस्था है। यह संगठन इससे संबद्ध वित्तीय हस्तांतरणों तथा लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।
- यह संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह अनिवार्य योगदान आधारित भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना का संचालन करता है।
- ये योजनाएं भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय (जिन देशों के साथ भारत ने द्वीपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है) दोनों ही श्रमिकों को समाविष्ट करती हैं।

सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) योजना

- 1 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने EPFO द्वारा कवर कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) नंबर पोर्टेबिलिटी को सक्रिय करने के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) का शुभारंभ किया।
- सार्वभौमिक खाता संख्या योजना से संबद्ध सक्रिय कर्मचारियों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान की जाएगी जिसे कर्मचारियों द्वारा विभिन्न संगठनों में कार्य करने के दौरान खोले गए विभिन्न भविष्य निधि खातों से संबद्ध किया जा सकता है।
- एक ही खाता संख्या को विभिन्न संगठनों के साथ कर्मचारी के रोजगार के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
- सार्वभौमिक खाता संख्या से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी बिना अपने रोजगार प्रदाता को सम्पर्क किये अपनी भविष्य निधि की तात्कालिक स्थिति को जान सकते हैं।

VISION IAS

F.2 जल क्रांति अभियान

(Jal Kranti Abhiyan)

- जल क्रांति के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पायलट परियोजना के रूप में पानी की अत्यधिक कमी वाले गांवों को जल ग्राम के रूप में चयनित किया जायेगा।
- इन चयनित गांवों के लिए एक समग्र एकीकृत योजना का निर्माण किया जाएगा और कई जल संरक्षण गतिविधियों को आरम्भ किया जाएगा।
- इस क्रांति के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधिओं में वर्षा जल संग्रहण, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, पानी के दक्षतापूर्ण के उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई और जन जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
- इसके साथ स्थानीय पेशेवर जल मित्र का एक कैडर सृजित किया जाएगा और उन्हें जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- पायलट परियोजना के रूप में देश के प्रत्येक 672 जिलों में से जल की कमी वाले एक गांव में इस राष्ट्रीय अभियान के तहत गतिविधियां चलायी जायेंगी।

F.3 नमामि गंगे

(Namami Gange)

- फ्लैगशिप कार्यक्रम "नमामि गंगे" जो समग्रता से गंगा नदी की सफाई और संरक्षण का एकीकृत प्रयास करता है और यह 8 राज्यों में 12 नदियों को समाविष्ट करेगा।
- इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन गंगा सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Clean Ganga) और इसके राज्य प्रतिरूप संगठन राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (State Program Management Groups) द्वारा किया जाएगा।
- यह पूरी तरह से केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम राज्य और मूलभूत स्तर के संगठन जैसे कि नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

F.4 'ग्रो सेफ फूड' अभियान

("GROW SAFE FOOD" CAMPAIGN)

- सरकार ने उपज की पोषकता और गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए "ग्रो सेफ फूड" अभियान आरंभ किया है।
- "ग्रो सेफ फूड" अभियान का शुभारंभ विभिन्न हितधारकों के बीच कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है।
- किसानों द्वारा फसलों पर कीटनाशकों के संतुलित उपयोग के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है।

VISION IAS

- कृषि मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि **"राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी"** के अंर्तगत प्राप्त कीटनाशकों के अवशेषों के आंकड़ों को राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के साथ साझा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एकीकृत कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ फसलों पर कीटनाशकों के विवेकपूर्ण और समुचित उपयोग के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करना और किसानों में जागरूकता पैदा करना है।
- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) पर बल देता है जिससे कीट नियंत्रण के जैविक, सांस्कृतिक और यांत्रिक तरीकों को बढ़ावा मिलता है और कीटनाशकों के आवश्यकता आधारित व विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करता है।

F.5 सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर मामला

(Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को SYL नहर के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर यथा-स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
- तथापि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के विरूद्ध जाते हुए, पंजाब विधान सभा ने **पंजाब सतलुज-यमुना लिंक नहर (पुनर्वास एवं स्वामित्व अधिकार हस्तांतरण) विधेयक, 2016** पारित किया जिसमें नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि को निःशुल्क उसके मूल मालिकों को लौटाने की बात कही गयी है।

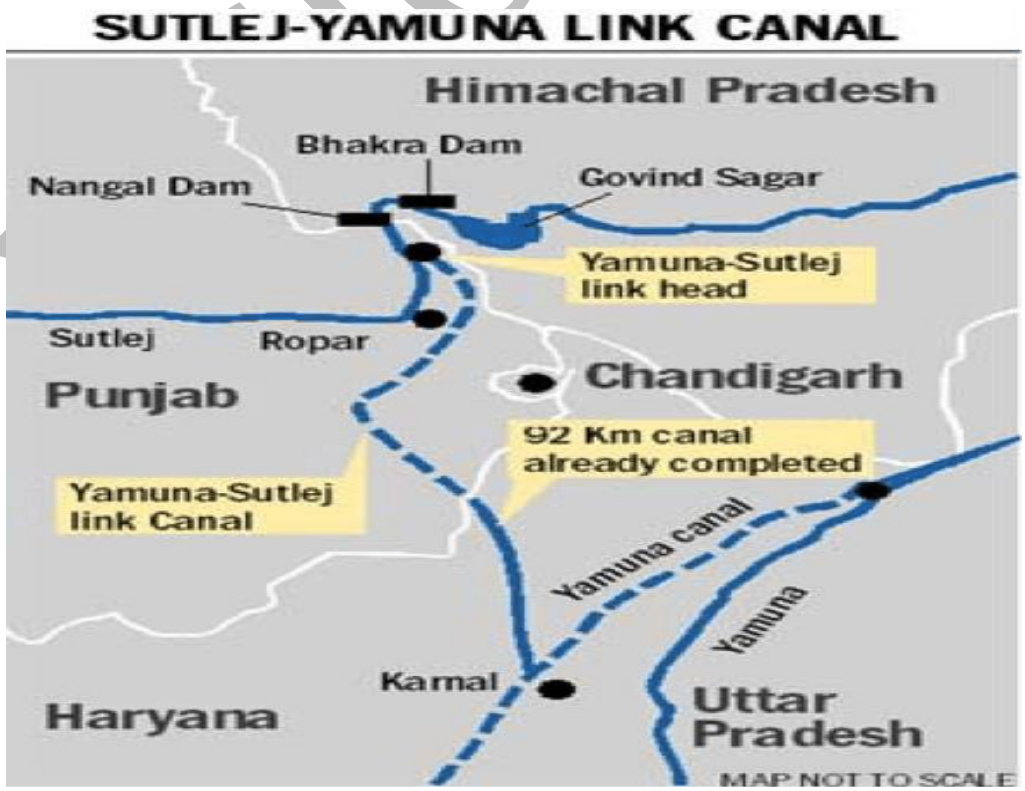

पृष्ठभूमि:

- 1976 में केंद्र सरकार ने अविभाजित पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फुट (MAF) भूमि में से हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की थी।
- राज्य के आर-पार सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनी जिससे कि हरियाणा सतलुज तथा उसकी सहायक व्यास नदी के जल के अपने हिस्से का उपयोग कर सके।
- नहर की कुल लम्बाई 214 किलोमीटर होने का अनुमान है। इसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में तथा 92 किलोमीटर हरियाणा में होगा।
- इस नहर का निर्माण कार्य 1982 में आरम्भ किया गया।
- तथापि, पंजाब में होने वाले विरोध को देखते हुए, पंजाब विधानसभा ने पंजाब समझौता समापन अधिनियम, 2004 पारित कर अपने जल साझा करने वाले समझौतों को समाप्त कर दिया।
    - उपर्युक्त घटना से भी नहर का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।

विवाद या संघर्ष के कारण

- पंजाब सरकार का तर्क है कि हरियाणा को SYL के तहत जल साझा किये जाने संबंधी आकलन 1920 के आंकड़ों पर आधारित हैं और अब स्थिति में काफी बदलाव आ गया है, इसलिए इसकी पुनः समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।
- जबकि हरियाणा सरकार का दावा है कि वह जल की कमी वाला राज्य है तथा उसे जल में उसकी साझेदारी से वंचित रखा गया है जिससे उसका कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ है।

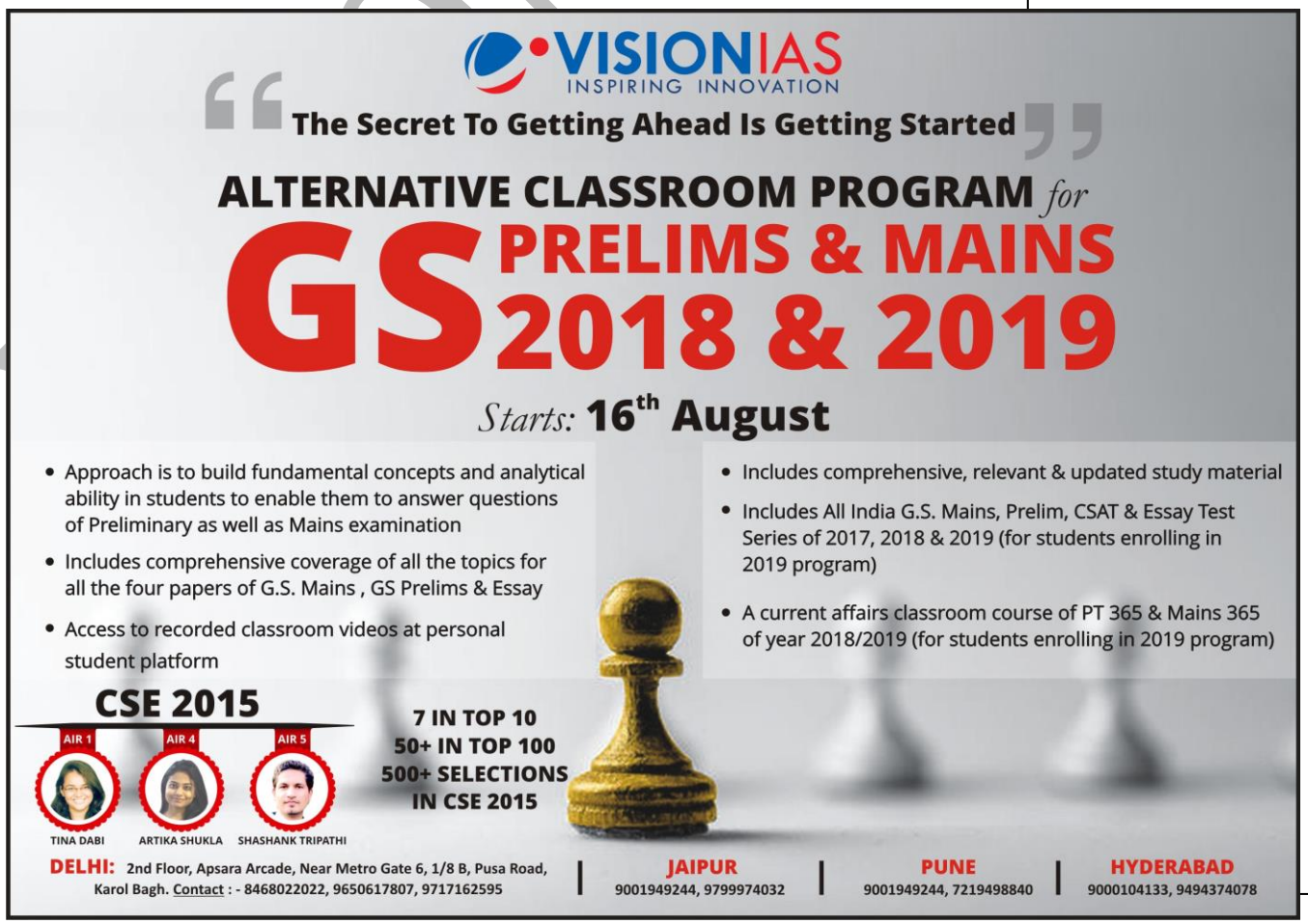

G. विगत वर्षों के प्रश्न:

विचाराधीन मामलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का पोर्टल

1. लोक अदालतों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक लोक अदालत द्वारा लिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश (डिक्री) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है।
2. विवाह–संबंधी/ पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (a)

विधि आयोग ने मृत्यु दंड के उन्मूलन की सिफारिश की

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होती है।
2. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
3. जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक का विधि कार्य का अनुभव होना चाहिए या उसे संघ या राज्य की न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए।
4. जब सत्र न्यायालय मौत की सजा देता है तो इसका कार्यान्वयन करने से पहले इसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं-

(a) 1 और 2

(b) 2, 3 और 4

(c) 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : (d)

NJAC अधिनियम असंवैधानिक और अमान्य

VISION IAS

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायाधीश (जांच) विधेयक 2006 के अंतर्गत एक न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार है जो, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी।
2. घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (b)

समान नागरिक संहिता

4. भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें:

1. देश भर में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना।
2. ग्राम पंचायतों का संगठन।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
4. सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर।

उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में परिलक्षित होते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1,3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : (b)

बाल अधिकार

VISION IAS

5. भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 'चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चें को किसी फैक्टरी, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में **नियोजित** करने को प्रतिबंधित किया गया है'?

(a) अनुच्छेद 24

(b) अनुच्छेद 45

(c) अनुच्छेद 330

(d) अनुच्छेद 368

उत्तर- (a)

शैक्षिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा

6. सूची - I (भारतीय संविधान का अनुच्छेद) को सूची - II (प्रावधान) के साथ सुमेलित कीजिये और सूचियों के निचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

	सूची – I (भारतीय संविधान का अनुच्छेद)	**सूची – II (उपबंध)**
A	अनुच्छेद 16 (2)	1. किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी सम्पति से वंचित नहीं किया जाएगा
B	अनुच्छेद 29 (2)	2. किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है
C	अनुच्छेद 30 (1)	3. सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।
D	अनुच्छेद 31 (1)	4. किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा।

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	3	1
(b)	3	1	2	4
(c)	2	1	3	4
(d)	3	4	2	1

उत्तर- (a)

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2015 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

VISION IAS

7. यदि एक पंचायत भंग हो जाती है, तो कितने समय के भीतर चुनाव आयोजित किया जाना चाहिये:

(a) 1 महीने (b) 3 महीने

(c) 6 महीने (d) 1 वर्ष

उत्तर- (c)

8. संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीजों की व्यवस्था करता है?

1. जिला योजना समितियों का गठन करने की
2. राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की
3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की

निम्नलिखत कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (c)

9. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका/शक्ति है?

1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है
2. ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है
3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (b)

10. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है?

(a) उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश

(b) उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश

(c) केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति

(d) केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति

उत्तर – (c)

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
CSE 2013
CSE 2014
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
Foundation Course
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog